



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08082020-220997  
CG-DL-E-08082020-220997

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2332]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 6, 2020/श्रावण 15, 1942

No. 2332]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 6, 2020/SHRAVANA 15, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2020

**का.आ. 2631(अ).**—भारत के राजपत्र, असाधारण में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1914(अ), तारीख 3 जून, 2019, द्वारा एक प्रारूप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना में अन्तर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुन्नाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना में अन्तर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 4 जून, 2019, को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, प्रारूप अधिसूचना के उत्तर में व्यक्तियों और पण्डारियों से कोई भी आक्षेप और सुन्नाव प्राप्त नहीं हुए;

और, जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान राज्य में उदयपुर जिले के गिरवा, सारदा और सलूम्बर तहसील में स्थित है; भौगोलिक क्षेत्रफल 52.342 वर्ग किलोमीटर से घिरा हुआ है;

और, अभ्यारण्य स्थलीय के साथ-साथ विविध जलीय जीवजंतुओं के आश्रय के लिए एक आदर्श पर्यावास है। शानदार पैंथर जंगली पशुओं के बीच पारिस्थितिकी पराकाष्ठा है, जो वन पारिस्थितिकी-प्रणाली के लिए अच्छा संकेत है। अभ्यारण्य के आस-पास के भू-भाग की तुलना में यह आसपास के शाकाहारी पशुओं को जीवित रहने और बनाए रखने के लिए एक आदर्श भू-दृश्य प्रदान करता है;

और, अभयारण्य से मुख्य वनस्पतियां अकैशिया कटेचु (बैर), अकैशिया लेउकोफोलिया (रोंझ), अकैशिया निलोटीका (देसी बावलिया), अकैशिया सेनेगाल (कुमता), अदीना कोडिंफोलिया (हलदु), एलेग मार्मेलोस (बिलि), ऐलैंथस एक्सेलसा (अरदुसा, पावा), अलेगियम सलविकोलियम (अनकोल), अलबिजिया लेब्रेक (ब्लैक सिरिस), अलबिजिया ओडोरातिस्सिमा (सफेद सिरिस), अल्बिजिया प्रोसेरा (सफेद सिरिस), अन्नोना सेक्यूमोसा (सिताफल), अनोगेस्सूस पेंदुला (धोकडा), अनोगेस्सूस लतीफोलिया (धावदा), अनोगेस्सूस सेरिकिया (अदरुका, इंदूक), अनोगेस्सूस अकुमिनाआ (धोक), अजादीराटा इंडिका (नीम), ब्लानिटेस ऐग्यपतिका (हींगोट), बउहेनिया रेकेमोसा (झींझा, हीतरी), बोम्बक्स केहबा (सेमल), बोसवेल्लीया सेरटा (सलार), ब्यूटिया मोनोस्पर्मा (खाखरो), कैशिया फिस्तुला (करमेला), कैशिया सैमेया (कसिद), कोरदीया मिक्सा (गुंदा, लिसोदा), करेटवा रेलिगिओसा (वरना), डालबेरगिया सिस्सू (सिस्सू), दीओस्प्यरोस मेलानोक्यलोन (तिमरू), इहरेतिया लेविस (ताम्बोलिया), इम्बलिका ओम्फिकिनालिस (अमला), एरीश्रिना सुबेरोसा (धेड खाखरो), यूकेलिप्टस स्पा. (निलगिरी), फिकुस बेंधालैंसिस (वाद), फिकुस रेकेमोसा (उमारा), फिकुस रेलिगिओसा (पिपलो), फलाकोउरतिया मॉटाना (कांकां), गरदेनिया रेसिनिकेरा (दीकामारी), ग्रेविया हीरसुता (खाड धामन), ग्रेविया तेनाक्स (गंगेटी), ग्रेया टिलियाफोलिया (धामन), ग्रेया विलोसा (गैंगेटी), होलोपेलिया इंटिफोलिया (कांजी), हिमेनोडिक्टोन एक्सेलस (कुनिओ), लान्नेया कोरोमेंदेलिका (गोदला), लेकेहना लेउकोकेफला (सुबाबुल), लिमोनिया अकेदीस्सिमा (कोतबाडि), मधुका इंडिका(महुदो), मांगिफेरा इंडिका (अम्बा), मेलिया एजेडेरच (बैकैन नीम), मित्राम्याना परविफ्लोरा (कलम), मोरिंगा ओलीफेरा (सहजाना), पिथेकेल्लोबिउम दुलका (किकर), पोंगामिया पिन्नाटा (करंज), प्रोसोपिस किनेराया (खिजदो), प्रोरोसोपस जुलिफलोरा (विलायती), सोयमिदा फबरीफुगा (रोयान), स्टेरकुलिया उरेंस (कदया), टमरिंदुस इंडिका (खतरी अमली), टेकोमेलिया उंदुलाटा (रोहीदा), वरिघटिया टिंकटोरिया (दुधी), वरीघटिया टोमेंटोसा (दुधी), ज़िज़िफस मउरीटिना (बोरदी), ज़िज़िफस क्यलोफयरूस (घाट बोर), अधाटोडा वेसिका (अरदुसा), कलोटरोफिस गिगंटिया (अकडो), केलोटरोपिस प्रोकेरा (अकडो), कप्पेरिस देकदुया (केर), केप्परिस सेपिरिया(कंथेर), कैसिया औरिकुलाटा (ओवल), डेंड्रोकोलामस स्ट्रस (बैन), डेंड्रोपथो फुलकुटा (वाही-हंकल), डिक्रोस्टैचिस किनेरिया (गोया खैर), हेलिकटेरेस इसोरा (मरोद फली), होलारहिना एंटीडीसेंट्रीका (कदवा), जतरोफा केरकुस (रतना ज्योत), जतरोफा गोस्सयपिकोलिया (छोटि रतन ज्योत), किरगानेलिया रेटिकुलाटा (कम्बोइ), लेप्टादेनिया पयरोटेचनिका (खिंप), मिमोसा हमेटा (अइला), रिकिनुस कोम्मुनिस (अरुंदो), थेस्पेसिस लाम्पस (परास पिपल), विटेक्स निंगुंदो (नागोड), वोगेलिया इंडिका (चितवाल), ज़िज़िफस गलाबेराटा (बोरदी), ज़िज़िफस तुम्मुलारिया (चनिबोर), अबरूस प्रेकटोरीउस (राष्ट्री), अम्पेलोकिस्सूस लतीफोलिया (खाटा लिम्बु), केरदीओस्पेरमुम हलीककबुम (कक मरदीका), किस्साम्पेलोस पेरेइरा (पहोद बेल), डायोस्कोरिया बुलबिफेरा (वाराही कंड), हेमिदेस्मुस इंडिकुस (दुधवेल), लपोमोइया निल (कालादाना), लुम्फिया अकुटांगुला (तुरिया), मैरुआ अलीशिया (हेमकंड), मोमोडिका दिओका (किकोडा), रायनचोसिस ब्रेकटेअटा (कमल बेल), टरीचोस्थेस ब्रेकटेअटा (रातरानी), लेउकेस केफलोटेस (कुबो जुंगली), लिंदेबेरगिया इंडिका (पथेरचाटी), ओकिमुन कनुम (जंगली तुलसी), फयल्लांथुस निरुरी (भोय अमली), प्रोरुलाकेया क्यदरीफिदा (जिनी लुनी), सैस्मुम इंडिकम (ताल), सोलानुम सुरट्टिंसे (बोइ रिंगनी), तरीबुलुस टेरेस्टरीस (गोखरू), त्रिदेक्स प्रोकुम्बेस (काली मेंधी), उरगिनिया इंडिका (जंगली पियाज), क्रथियम स्टेर्लमारीयम (गोखारू), अरीस्तिदा अदेस्केंसिओनिस (लप्दु), अरीस्तिदा फुनिकुलाटा (लासो लाम्डो), क्यनोडोन दाकतयलोन (दुब), सोर्धुम बुलगारे (बरू), डेंड्रोफोइथा फुलकाटा (वाही हांकल), अकटीनोपेरूम रूदीतुम (मोरपंची), आदि अभिलिखित की गई है;

और, अभयारण्य की जीवजंतु जैवविविधता में बनैला सूअर (सस स्कोफा), ग्रे मुसक सेराव (सुंचुस मुरीनुस), बेत (क्यनोप्टेरस स्फिक्स्स), तेंदुआ (पेन्थेरा प्रज्यूस), सामान्य लंगूर (प्रेबयतीस इन्तेल्लुस), चित्तीदार लकड़बग्धा (हैना हैना), बनबिलार (फेलिस चाउस), फाइब स्टीपेड पाम गिलहरी (फुनाम्बुलुस पेन्नांटी), भारतीय साल (मानिस क्रैसिकाउडाटा), भारतीय लोमड़ी (वुल्पस बंगलेंसिस), सामान्य नेवला (हेरपेस्टेस इडवारडसी), रुड़ी नेवला (एच. स्मिथी), हाउस रेट (रद्दुस रद्दुस), ब्लू बुल (बोसेलाफुस ट्रारागोकेमेलुस), भारतीय खरगोश (लेपुस निगरीकोल्लीस), भारतीय साही (हिस्ट्रीक्स इंडिका), चिन्कारा (गजेल्ला गजेल्ला), सियार (कैनिस ऑरियस), भारतीय छोटा सिविट (विवारीकुला इंडिका), टोडी बिल्ली (ऐराडोक्यरूस हेरमाफरोदीतुस), भारतीय अजगर (पायथन मोलरस्स), जोहन संडबोअ (इरेक्स जोहनी), सामान्य स्किंक (माबुया क्रेनाटा), चेकेरेड कैलबैक (नाटरीक्स पिस्कटोर), हाउस लिजार्ड (हेमिदाकटयलुस फलाविविरीदीस), स्टेरेड कछुआ (गेआचालोने इलेगांस), ग्रार्डन लिजार्ड (क्लोटेस वेरसिकोलोर), भारतीय चामैलेओन (चामैलेओन ज़ेलानिक्स), भारतीय कोबरा (नाजा नाजा), फलाप्सेल्ल कछुआ (लिस्सेमयस पुंकटाटा), स्लेंडर रेसर (कोलुबेर ग्राकिलुस), कटला (कटला कटला), रोहु (लाबेओ रोलिटा), गरीगल (किरहीना मरिगल), महाशिर (टोर टोर),

पुद्धरी (पुनितस साराना), सारसी (लेबेओग्रानीउस), लंची (वाल्लगो अट्टु), सिंधारा (मयस्टस सैंधाटी), कटेर (मयस्टस कवास्सिउस), सेंवाल (चान्ना मनिलिउस), चाल (रासबोरा देमिकस्सिकस), कलोट (लाबेओ कलबसु), पेंटेड फरांकोलिन (फरांकोलिन पिकटस), ग्रेफ्रैंकोलिन (एफ. पोंडीकेरीअनुस), सामान्य बटेर (कोतुरनिक्स कोतुरनिक्स), वारेंड बटन बटेर (तुरनिक्स सुस्कितटोर), भारतीय मोर (पावो क्ररीस्तुस), उत्तरी सोवेल्लेर (अनास कलयपैटा), सामान्य पोचार्ड (तदोराना फेर्नगिनिया), कोप्पेरस्मिथ बारबेट (एम. हैमकेफला), भारतीय ग्रे हार्नबिल्ल (ओक्यकेरोस बिरोस्तरीस), सामान्य हुपु (उपुपा इपोप्स), इररोपैन रोल्लेर (कोरोकिस बेंगालेंसिस), ग्रीन मधुमक्खी (मेरोपस ओरीइनतलिस), हाउस स्वीफ्ट (अपुस अफिनिस), पड़ुफीफिल्ड पिपिट (अंथुस फुल्वस), क्रस्टेड बुंटिंग (मेलोफुस लथमि), आदि शामिल हैं;

और, जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य के दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटापन्न प्रजातियों में स्टेरिकुलिया उरेनस (कडाया), अनोगेइस्सस सेरीकिया (इंदरोक), ब्लैक-लोरेज टीट (पर्स्स क्थोगेंयस), वाइट-रूमेपेड गिद्ध (गयपस बेंगालेंसिस), भारतीय गिद्ध (गैप्स इंडिकुस), आदि हैं;

और, जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य, अभयारण्य की सीमाओं के अंतर्गत “हवा महल” नामक दो बड़े महलों की सीमाओं के अन्दर स्थित है जिसका उपयोग शासको द्वारा ग्रीष्म रिजॉर्ट के तौर पर किया जा रहा है और “रुठी रानी महल” का उपयोग क्षेत्र और जयसमंद झील की प्राकृतिक सुन्दरता निहारने के लिए किया जाता है। ये ऐतिहासिक स्मारक कला और मूर्तिकला के जीवंत उदाहरण हैं, अरावली और विश्व प्रसिद्ध जयसमंद झील की प्राकृतिक सुन्दरता निहारने के लिए इन दिनों अनेक पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इन महलों के अतिरिक्त, चार शूटिंग बाक्स जिन्हे सामान्यतया “ओहडिस” के नाम जाना जाता है, का निर्माण शिकार करने और अरावली के हरे-भरे बनावरण को निहारने के लिए अभयारण्य के चारों ओर किया गया था। आजकल इन “ओहडिस” का उपयोग निकटता से वन्यजीवों को निहारने के लिए किया जाता है। यह अभयारण्य जयसमंद झील के जल ग्रहण क्षेत्रों का एक भाग भी है जो उदयपुर शहर के लिए एक जीवन रेखा के रूप में कार्य करता है क्योंकि यह इसकी सुन्दरता के अतिरिक्त, यह झील प्रकृति शिविर, ट्रैकिंग, पश्ची अवलोकन और जल क्रीड़ा के लिए उत्कृष्ट प्रदान करता है। जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य, उदयपुर शहर के निकट के क्षेत्र में होने के कारण, एक ओर स्थानीय बच्चों, युवाओं और पर्यटकों को शिक्षा के लिए केंद्र के रूप में कार्य करता है, जबकि दूसरी तरफ पूर्व वनस्पति और जीवजंतु पुनरुद्धान और बहाली का एक अनूठा उदाहरण है, जिसमें पैथर, लकड़बग्धा, सियार, खरगोश और सरीसूपों और पक्षियों की विविधता शामिल है। यह अब अरावली के स्वदेशी, दुर्लभ और लुप्तप्राय जीवजंतु के प्रजनन का केंद्र है और यह इस क्षेत्र के जंगली पशुओं के लिए गलियारे के रूप में भी कार्य करता है;

और, जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य और के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएँ इस अधिसूचना के पैरा 1 में विविरित हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् पर्यावरण अधिसूचना कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) एवं उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान राज्य में उदयपुर जिला जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 1.60 किलोमीटर से 8.90 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएँ.- (1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 1.60 किलोमीटर से 8.90 किलोमीटर तक विस्तृत है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 220.118 वर्ग किलोमीटर है।

(2) जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण उपाबंध-I के रूप में उपाबद्ध है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के सीमांकन जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य के मानचित्र उपाबंध-IIक, उपाबंध-IIख, उपाबंध-IIग, और उपाबंध-IIघ के रूप में उपाबद्ध हैं।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भू निर्देशांकों की सूची उपाबंध-III के सारणी क और सारणी ख में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची उपांध-IV के रूप में उपांध है।

**2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना-** (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हैं के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:-

- (i) पर्यावरण;
- (ii) वन और वन्यजीव;
- (iii) कृषि;
- (iv) राजस्व;
- (v) शहरी विकास;
- (vi) पर्यटन;
- (vii) ग्रामीण विकास;
- (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
- (ix) नगरपालिका;
- (x) पंचायती राज; और
- (xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों का संवर्धन करेगी।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरणों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के व्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यक्तन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध पैरा-4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना प्रादेशिक विकास योजना की सह विस्तारी होगी।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कार्यों को करने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) भू-उपयोग.— (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में बनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए उद्यानों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं किया जाएगा:

परन्तु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:-

- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भंडार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अंतर्गत ग्रहवास सम्मिलित है; और
- (v) पैरा 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परन्तु यह और भी कि क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परन्तु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आने वाली भूमि के अभिलेखों में हर्इ किसी गलती को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मासले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त गलती को सुधारने की सूचना केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परन्तु यह और भी कि उपर्युक्त गलती को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा;

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण तथा पर्यावासों और जैव- विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे।

(2) प्राकृतिक जल स्रोत.- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलापों प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे।

(3) पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.— (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा तैयार किया जाएगा।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगा।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ज) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परन्तु वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिजॉर्ट का स्थापन केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नए होटल, रिजॉर्ट या वाणिज्यिक स्थापन का सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा।

(4) **प्राकृतिक विरासत-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्तर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातो, झरने, दर्रों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति- क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबंधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण-** पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की निवारण और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सारण-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण, और पर्यावरण अधिनियम अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत सम्मिलित किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों इनमें, जो भी अधिक कठोर हों के अनुसार किया जाएगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट-** ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबन्धन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357 (अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के अधीन प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;
- (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ई एस एम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबन्धन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन.- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि. 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. सा.का.नि. 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि. 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) ई-अपशिष्ट.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट का प्रबंधन का निपटान भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय- समय पर यथा संशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) यानीय-यातायात.- वाहन-यातायात का संचलन आवास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे तथा आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने तक, निगरानी समिति सुसंगत अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार वाहनों की आवाजाही के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) यानीय प्रदूषण.- यानीय प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा और स्वच्छतर ईंधन के उपयोग के प्रयास किए जाएंगे।

(16) औद्योगिक ईकाइयां.- (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।  
(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.- पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

- (क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।
- (ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, और तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 और पर्यावरणीय समाधात निर्धारण अधिसूचना, 2006सहित उसके अधीन बने नियमों और वन) संरक्षण (अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव) संरक्षण (अधिनियम1972 , (1972 का 53), सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

### सारणी

क्रम सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	वर्णन (3)
<b>अ. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप</b>		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और क्रशिंग इकाईयां।	<p>(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और बृहत खनिज), पत्थर की खाने और उनकों तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होगी।</p> <p>(ख) खनन प्रचालन, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडार्वमन थिरमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालित होंगी।</p>
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, धवनि, आदि) उत्पन करने वाले उद्योगों की स्थापना।	<p>पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी।</p> <p>परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्ग दर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।</p>
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्वाव का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
<b>आ. विनियमित क्रियाकलाप</b>		
8.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है,

		<p>नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:</p> <p>परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप होगा।</p>
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	<p>(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी:</p> <p>परंतु स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी, जैसे:-</p> <p>परंतु यह और कि गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे।</p> <p>(ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।</p>
10.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
11.	वृक्षों की कटाई।	<p>(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी।</p> <p>(ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होंगे।</p>
12.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
13.	विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। भूमिगत केबल के बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जा सकेगा।
14.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित अवसंरचनाएं।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा।
15.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा।

16.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
17.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
18.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
19.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुर्घटशाला, दुर्घट उद्योग, कृषि और मछली पालन।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात किया जाएगा।
20.	फर्मों, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और पोल्ट्री फार्मों की स्थापना।	सिवाय स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अनुसार (सिवाय अन्यथा उपबंधित) विनियमित होंगे।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्भाव का निस्तारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्भाव के निस्तारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनःचक्रण और पुनःउपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिर्भाव के पुनर्चक्रण/प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
22.	सतह और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
23.	खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि कृषि और अन्य उपयोग के लिए।	सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों को विनियमित और निगरानी सख्ती।
24.	ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
26.	पारिस्थितिकी-पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
27.	पोलिथीन बैगों का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
28.	वाणिज्यिक सूचना पट्ट और होर्डिंग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।

#### इ. संवर्धित क्रियाकलाप

29.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

35.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	निम्नीकृत भूमि/ वन / वास की व्हाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	पर्यावरणीय जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए निगरानी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी अर्थात्:-

क्र.स.	मानीटरी समिति का गठन	पद
1.	जिला कलक्टर, उदयपुर	पदेन, अध्यक्ष;
2.	लोक निर्माण विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी, उदयपुर	सदस्य;
3.	सिंचाई विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी, उदयपुर	सदस्य;
4.	खनन विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी, उदयपुर	सदस्य;
5.	पुलिस विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी, उदयपुर	सदस्य;
6.	उद्योग विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी, उदयपुर	सदस्य;
7.	मत्स्य विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी, उदयपुर	सदस्य;
8.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, उदयपुर	सदस्य;
9.	उप-प्रभागीय अधिकारी, सारदा, उदयपुर	सदस्य;
10.	उप-प्रभागीय अधिकारी, सलुम्बर, उदयपुर	सदस्य;
11.	उप-प्रभागीय अधिकारी, गिरवा, उदयपुर	सदस्य;
12.	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का प्रतिनिधि	सदस्य;
13.	राज्य के प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
14.	उप वन संरक्षक, उदयपुर	सदस्य;
15.	उप वन संरक्षक, वन्यजीव, उदयपुर	सदस्य-सचिव।

6. निर्देश-निबंधन.- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति के पुनः गठन तक के लिए होगा और बाद में निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी के स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिसिद्ध क्रियाकलापों के, निगरानी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संविक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिपिछ्क क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परन्तु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम, की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पण्डारियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को उपाबंध V में संलग्न प्रोफार्मा में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अध्यधीन होंगे।

[फा. सं. 25/10/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-।

#### जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य, राजस्थान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

दिशा	बिन्दु सं. से	बिन्दु सं. तक	बिन्दु संख्या का विवरण
उत्तर दिशा	इ01	इ02	बगुरवा औडा सड़क से माल मगरी तिराहा (शमशान घाट एवं एनीकेट) पर बिन्दु सं. इ 01 स्थित है। ग्राम बगुरवा की ओर सड़क पर आगे बढ़े।
	इ02	इ05	ग्राम बगुरवा से ग्राम अजबरा सड़क से मामादेव मन्दिर रास्ता पर तिराहा (ग्राम बगुरवा के हनुमान मन्दिर व बावडी के सामने) पर बिन्दु सं. इ 02 स्थित है। ग्राम अजबरा की ओर सड़क पर आगे बढ़े।
	इ05	इ08	ग्राम बगुरवा से ग्राम अजबरा की सड़क से बसोत तिराहा (वण्डा खेत फला की आबादी के क्षेत्र के पास एवं बाबा चौतरा के पास कुआ) पर बिन्दु सं. इ 05 स्थित है। ग्राम बसोत की ओर कद्दी सड़क पर आगे बढ़े।
	इ08	इ13	भूतिया तालाब तिराहा से वोह मगरा की तरफ जा रहे रास्ते पर बिन्दु सं. इ08 स्थित है।


	इ13	इ14	ग्राम रुणिजा के आबादी क्षेत्र से ग्राम वसु व जगत सड़क पर मुडाव पर उंकार जी प्रजापत के बाडे के सामने बिन्दु सं. इ 13 स्थित है। ग्राम जगत की ओर सड़क पर आगे बढ़े।
	इ14	इ17	रुणिजा से जगत सड़क से ग्राम अदवास की ओर जा रही कम्बी सड़क पर (तिराहा) बिन्दु सं. इ 14 स्थित है। वन खण्ड सोनीगरा मगरा की सीमा के साथ-साथ भलावत बस्ती जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़े।
	इ17	इ18	जगत से अदवास रोड पर भारिया तिराहा पर पक्की सड़क पर बिन्दु सं. इ 17 स्थित है।
	इ18	इ24	जगत से अदवास रोड से ओम नगरी मन्दिर का रास्ता तिराहा पर पक्की सड़क पर बिन्दु सं. इ 18 स्थित है।
	इ24	इ26	ग्राम जावद से नयीझर रास्ते पर संरपच निवास जाने के रास्ते वाले तिराहे पर मोबाईल टावर के पास बिन्दु सं. इ 024 स्थित है। ग्राम नयीझर की ओर सड़क पर आगे बढ़े।
	इ26	इ28	ग्राम जावद से नयीझर सड़क से ग्राम बैलवडी का रास्ता, तिराहे पर बिन्दु सं. इ 26 स्थित है। ग्राम नयीझर की ओर सड़क पर आगे बढ़े।
	इ28	इ30	ग्राम जावद से नयीझर सड़क से जयसमन्द झील (13 किमी) का रास्ता, तिराहे पर बन्दु सं. इ 28 स्थित है। ग्राम नयीझर की ओर सड़क पर आगे बढ़े।
	इ30	इ33	ग्राम नयीझर से गींगला सड़क से ग्राम नयाकुआ, मेन्दुडा के रास्ता (बाबा रामदेव मन्दिर) तिराहा के पास बिन्दु सं. इ 30 स्थित है। ग्राम गींगला की ओर सड़क पर आगे बढ़े।
	इ33	इ35	ग्राम नयीझर से गींगला सड़क से सेमाल के रास्ता तिराहा के पास बिन्दु सं. इ 33 स्थित है।
	इ35	इ36	चौराहा गींगला से सेमाल रोड व देवला तालाब से भैरूजी बावजी रोड, जहां देवनारायण जी का मन्दिर स्थित है। चौराहे के पास बिन्दु सं. इ 35 स्थित है।
पूर्व दिशा	इ36	इ40	गींगला से सेमाल रोड से भीतोडी भील बस्ती से कालाखेत की ओर कम्बे रास्ता तिराहे पर बिन्दु सं. इ 36 स्थित है।
	इ40	इ42	गींगला ग्राम के आबादी क्षेत्र को बाहर निकालते हुए, ग्राम के पीछे की तरफ से आगे बढ़े।
	इ42	इ43	ग्राम धुलजी का गुढा से सराडी रोड पर गींगला ग्राम की झामरी नदी से आ रहा रास्ता तिराहे पर बिन्दु सं. इ 42 स्थित है।
	इ43	इ44	ग्राम धुलजी का गुढा से सराडी रोड पर गोमती नदी के पुल पर बिन्दु सं. इ 43 स्थित है।

	इ44	इ47	ग्राम सराडी का एकलव्य नगर के बरगद के पास बिन्दु सं44 स्थित है।
	इ47	इ51	ग्राम सिंचावली के आंगनवाड़ी केन्द्र के सामने सड़क पर बिन्दु सं. इ 47 स्थित है। वह सामने दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़े।
	इ51	इ53	ग्राम माकड़ सीमा से करावली रोड पर खेराड रोड तिराहा पर बिन्दु सं इ 51 स्थित है।
	इ53	इ55	घाटी मुख्य सड़क चौराहा (जयसमन्द, नाहपुरा, घाटी, माकड़सीमा) पर बिन्दु सं. इ 53 स्थित है।
	इ55	इ57	गामडा तिराहा दौलपुरा स्कूल के पास (सलूम्बर रोड 9 किमी) खेराड से करावली रोड पर बिन्दु सं. इ 55 स्थित है।
	इ57	इ60	चिंबोडा तिराहा (खेराड से करावली रोड) पर बिन्दु सं. इ 57 स्थित है।
	इ60	इ66	सलूम्बर से जयसमन्द रोड पर नहर के पास बिन्दु सं. इ 60 स्थित है। नहर के साथ साथ ग्राम गांधीनगर की ओर आगे बढ़े।
दक्षिण दिशा	इ66	इ68	ग्राम गांधीनगर के नहर व रोड क्रांसिंग पर बिन्दु सं. इ 66 स्थित है। ग्राम कन्तौडा की सड़क के साथ आगे बढ़े।
	इ68	इ71	ग्राम कन्तौडा के तिराहा (बुटावला, कन्तौडा, गांधीपुरा) पर बिन्दु सं. इ 68 स्थित है।
	इ71	इ74	ग्राम बुटवास के तिराहा (जयसमन्द से झाडोल रोड) पर बिन्दु सं इ 71 स्थित है।
	इ74	इ76	ग्राम पहाड़ी का चौराहा (श्यामपुरा, पहाड़ी खुर्द, जयसमन्द एवं झाडोल रोड) पर बिन्दु सं इ 74 स्थित है। ग्राम झाडोल की सड़क के साथ आगे बढ़े।
	इ76	इ77	ग्राम झाडोल से बटुका की सड़क के साथ आगे बढ़े।
	इ77	इ82	ग्राम झाडोल के धर्मतलाई क्षेत्र से बटुका कीसड़क पर पादरडा कांसिंग पर पनी की टंकी के पास बिन्दुसं. इ 77 स्थित है।
	इ82	इ87	ग्राम धानी मेलाना से काला पायरा रोड रेलवे क्रांसिंग, रेलवे अण्डरब्रिज के पास बिन्दु सं. इ 82 स्थित है। रेल की पटरी के साथ साथ उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़े।
	इ87	इ89	ग्राम धावडिया से कथिला रोड रेलवे क्रांसिंग, रेलवे अण्डरब्रिज के पास बिन्दु सं. इ 87 स्थित है। ग्राम धावडिया रोड पर आगे बढ़े।
पश्चिम दिशा	इ89	इ91	धावडिया चौराहा (धावडिया, डिंगाड़ी फला, देवपुरा, पलोदडा) के पास बिन्दु सं. इ 89 स्थित है। डिंगाड़ी फला रोड पर आगे बढ़े।

	इ91	इ96	ग्राम डिंगाड़ी फला से 1 किलोमीटर पूर्व तिराहे पर बिन्दु सं. इ 91 स्थित है।
	इ96	इ100	ग्राम रेला तिराहा (रेला, डिंगाड़ी फला, पाड़ला रोड) पर बिन्दु सं. इ 96 स्थित है। देवला बस स्टेशन रोड के साथ साथ आगे बढ़े।
	इ100	इ104	देवला बस स्टेशन तिराहा जयसमन्द- उदयपुर रोड पर बिन्दु सं. इ 100 स्थित है। उदयपुर की ओर सड़क के साथ साथ आगे बढ़े।
	इ104	इ01	जयसमन्द-उदयपुर रोड पर ग्राम औड़ा में भीमराज कलाल के मकान व दुकान के सामने बिन्दु सं. इ 104 स्थित है। वनखण्ड पलोदड़ा के पहाड़ी से आ रही नदी के साथ साथ बिन्दु सं. इ 01 पर पहुंचेगे।


## उपांध- IIक

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन और जयसमन्द वन्यजीव अभयारण्य का अवस्थान मानचित्र




उपांध-॥५

**मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र**




## उपांध-IIग

**भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) टोपोशीट पर मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का सैटेलाइट मानचित्र**



उपांध- ॥८

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



## उपाबंध-III

सारणी क : जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य, राजस्थान के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं	बिंदु कोड	अक्षांश	देशांतर
1	जे-001	उ24° 18' 04.70"	पू73° 50' 31.5"
2	जे-002	उ24° 18' 02.30"	पू73° 50' 32.10"
3	जे-003	उ24° 17' 59.34"	पू73° 50' 32.69"
4	जे-004	उ24° 17' 56.78"	पू73° 50' 32.98"
5	जे-005	उ24° 17' 54.18"	पू73° 50' 33.33"
6	जे-006	उ24° 17' 53.76"	पू73° 50' 33.46"
7	जे-007	उ24° 17' 52.95"	पू73° 50' 34.32"
8	जे-008	उ24° 17' 52.28"	पू73° 50' 35.11"
9	जे-009	उ24° 17' 51.25"	पू73° 50' 35.96"
10	जे-010	उ24° 17' 50.12"	पू73° 50' 36.81"
11	जे-011	उ24° 17' 49.18"	पू73° 50' 37.56"
12	जे-012	उ24° 17' 48.30"	पू73° 50' 38.27"
13	जे-013	उ24° 17' 47.49"	पू73° 50' 38.94"
14	जे-014	उ24° 17' 45.70"	पू73° 50' 40.85"
15	जे-015	उ24° 17' 44.54"	पू73° 50' 42.21"
16	जे-016	उ24° 17' 43.73"	पू73° 50' 42.94"
17	जे-017	उ24° 17' 42.92"	पू73° 50' 44.05"
18	जे-018	उ24° 17' 41.64"	पू73° 50' 45.63"
19	जे-019	उ24° 17' 39.99"	पू73° 50' 46.69"
20	जे-020	उ24° 17' 39.22"	पू73° 50' 47.56"
21	जे-021	उ24° 17' 38.53"	पू73° 50' 48.24"
22	जे-022	उ24° 17' 37.50"	पू73° 50' 49.77"
23	जे-023	उ24° 17' 35.43"	पू73° 50' 51.34"
24	जे-024	उ24° 17' 32.84"	पू73° 50' 52.71"
25	जे-025	उ24° 17' 32.21"	पू73° 50' 53.20"
26	जे-026	उ24° 17' 28.91"	पू73° 50' 53.67"
27	जे-027	उ24° 17' 28.60"	पू73° 50' 53.7"
28	जे-028	उ24° 17' 27.52"	पू73° 50' 53.39"
29	जे-029	उ24° 17' 25.19"	पू73° 50' 52.55"
30	जे-030	उ24° 17' 24.27"	पू73° 50' 52.29"
31	जे-031	उ24° 17' 22.65"	पू73° 50' 54.41"
32	जे-032	उ24° 17' 22.13"	पू73° 50' 55.14"
33	जे-033	उ24° 17' 20.98"	पू73° 50' 56.70"

34	जे-034	उ24° 17' 19.31"	पू73° 50' 58.99"
35	जे-035	उ24° 17' 17.54"	पू73° 51' 01.33"
36	जे-036	उ24° 17' 16.17"	पू73° 51' 2.91"
37	जे-037	उ24° 17' 15.46"	पू73° 51' 3.61"
38	जे-038	उ24° 17' 14.23"	पू73° 51' 4.74"
39	जे-039	उ24° 17' 13.00"	पू73° 51' 5.71"
40	जे-040	उ24° 17' 11.73"	पू73° 51' 6.72"
41	जे-041	उ24° 17' 10.04"	पू73° 51' 8.34"
42	जे-042	उ24° 17' 08.59"	पू73° 51' 9.68"
43	जे-043	उ24° 17' 06.69"	पू73° 51' 11.73"
44	जे-044	उ24° 17' 05.83"	पू73° 51' 12.75"
45	जे-045	उ24° 17' 04.79"	पू73° 51' 14.25"
46	जे-046	उ24° 17' 03.84"	पू73° 51' 15.71"
47	जे-047	उ24° 17' 01.80"	पू73° 51' 17.99"
48	जे-048	उ24° 16' 59.65"	पू73° 51' 19.81"
49	जे-049	उ24° 16' 55.40"	पू73° 51' 22.43"
50	जे-050	उ24° 16' 53.32"	पू73° 51' 23.75"
51	जे-051	उ24° 16' 50.95"	पू73° 51' 25.51"
52	जे-052	उ24° 16' 48.63"	पू73° 51' 27.63"
53	जे-053	उ24° 16' 45.80"	पू73° 51' 30.36"
54	जे-054	उ24° 16' 42.85"	पू73° 51' 32.99"
55	जे-055	उ24° 16' 41.75"	पू73° 51' 34.08"
56	जे-056	उ24° 16' 40.90"	पू73° 51' 35.19"
57	जे-057	उ24° 16' 38.76"	पू73° 51' 39.10"
58	जे-058	उ24° 16' 43.82"	पू73° 51' 43.61"
59	जे-059	उ24° 16' 44.95"	पू73° 51' 44.58"
60	जे-060	उ24° 16' 40.87"	पू73° 51' 50.08"
61	जे-061	उ24° 16' 40.51"	पू73° 51' 50.40"
62	जे-062	उ24° 16' 38.92"	पू73° 51' 52.15"
63	जे-063	उ24° 16' 37.59"	पू73° 51' 59.72"
64	जे-064	उ24° 16' 35.65"	पू73° 52' 01.13"
65	जे-065	उ24° 16' 29.91"	पू73° 52' 5.55"
66	जे-066	उ24° 16' 25.25"	पू73° 52' 3.56"
67	जे-067	उ24° 16' 23.00"	पू73° 52' 6.67"
68	जे-068	उ24° 16' 21.01"	पू73° 52' 9.16"
69	जे-069	उ24° 16' 18.57"	पू73° 52' 12.60"
70	जे-070	उ24° 16' 16.56"	पू73° 52' 16.40"

71	जे-071	उ24° 16' 15.66"	पू73° 52' 17.59"
72	जे-072	उ24° 16' 14.07"	पू73° 52' 18.84"
73	जे-073	उ24° 16' 11.93"	पू73° 52' 20.05"
74	जे-074	उ24° 16' 10.46"	पू73° 52' 21.00"
75	जे-075	उ24° 16' 8.87"	पू73° 52' 22.72"
76	जे-076	उ24° 16' 7.49"	पू73° 52' 24.96"
77	जे-077	उ24° 16' 6.45"	पू73° 52' 26.71"
78	जे-078	उ24° 16' 5.15"	पू73° 52' 28.98"
79	जे-079	उ24° 16' 4.04"	पू73° 52' 31.07"
80	जे-080	उ24° 16' 3.43"	पू73° 52' 32.52"
81	जे-081	उ24° 16' 2.67"	पू73° 52' 34.42"
82	जे-082	उ24° 16' 1.32"	पू73° 52' 37.74"
83	जे-083	उ24° 16' 0.69"	पू73° 52' 39.31"
84	जे-084	उ24° 16' 0.07"	पू73° 52' 40.73"
85	जे-085	उ24° 15' 59.62"	पू73° 52' 41.90"
86	जे-086	उ24° 15' 58.78"	पू73° 52' 44.29"
87	जे-087	उ24° 15' 58.14"	पू73° 52' 45.38"
88	जे-088	उ24° 15' 57.29"	पू73° 52' 46.65"
89	जे-089	उ24° 15' 56.01"	पू73° 52' 48.63"
90	जे-090	उ24° 15' 55.17"	पू73° 52' 50.20"
91	जे-091	उ24° 15' 54.30"	पू73° 52' 52.06"
92	जे-092	उ24° 15' 53.42"	पू73° 52' 53.90"
93	जे-093	उ24° 15' 52.55"	पू73° 52' 55.90"
94	जे-094	उ24° 15' 51.80"	पू73° 52' 57.58"
95	जे-095	उ24° 15' 50.72"	पू73° 52' 59.97"
96	जे-096	उ24° 15' 49.71"	पू73° 53' 1.31"
97	जे-097	उ24° 15' 48.16"	पू73° 53' 2.88"
98	जे-098	उ24° 15' 46.44"	पू73° 53' 4.58"
99	जे-099	उ24° 15' 45.48"	पू73° 53' 5.73"
100	जे-100	उ24° 15' 44.71"	पू73° 53' 6.83"
101	जे-101	उ24° 15' 44.13"	पू73° 53' 7.77"
102	जे-102	उ24° 15' 43.31"	पू73° 53' 9.46"
103	जे-103	उ24° 15' 42.39"	पू73° 53' 11.91"
104	जे-104	उ24° 15' 41.74"	पू73° 53' 14.02"
105	जे-105	उ24° 15' 40.83"	पू73° 53' 16.55"
106	जे-106	उ24° 15' 39.56"	पू73° 53' 18.74"
107	जे-107	उ24° 15' 38.98"	पू73° 53' 19.59"

108	जे-108	उ24° 15' 38.26"	पू73° 53' 21.08"
109	जे-109	उ24° 15' 37.83"	पू73° 53' 22.54"
110	जे-110	उ24° 15' 37.49"	पू73° 53' 24.61"
111	जे-111	उ24° 15' 37.40"	पू73° 53' 26.51"
112	जे-112	उ24° 15' 37.11"	पू73° 53' 28.77"
113	जे-113	उ24° 15' 36.71"	पू73° 53' 30.95"
114	जे-114	उ24° 15' 36.71"	पू73° 53' 33.38"
115	जे-115	उ24° 15' 37.41"	पू73° 53' 35.18"
116	जे-116	उ24° 15' 38.49"	पू73° 53' 36.27"
117	जे-117	उ24° 15' 39.92"	पू73° 53' 38.12"
118	जे-118	उ24° 15' 40.97"	पू73° 53' 38.41"
119	जे-119	उ24° 15' 44.60"	पू73° 53' 36.92"
120	जे-120	उ24° 15' 45.80"	पू73° 53' 39.66"
121	जे-121	उ24° 15' 45.76"	पू73° 53' 41.92"
122	जे-122	उ24° 15' 44.33"	पू73° 53' 45.91"
123	जे-123	उ24° 15' 42.59"	पू73° 53' 46.43"
124	जे-124	उ24° 15' 39.82"	पू73° 53' 46.51"
125	जे-125	उ24° 15' 39.25"	पू73° 53' 46.27"
126	जे-126	उ24° 15' 35.39"	पू73° 53' 42.21"
127	जे-127	उ24° 15' 34.36"	पू73° 53' 50.50"
128	जे-128	उ24° 15' 35.19"	पू73° 53' 53.44"
129	जे-129	उ24° 15' 35.60"	पू73° 53' 55.91"
130	जे-130	उ24° 15' 35.98"	पू73° 53' 59.16"
131	जे-131	उ24° 15' 35.01"	पू73° 54' 3.53"
132	जे-132	उ24° 15' 33.80"	पू73° 54' 7.93"
133	जे-133	उ24° 15' 33.09"	पू73° 54' 10.62"
134	जे-134	उ24° 15' 31.68"	पू73° 54' 13.69"
135	जे-135	उ24° 15' 30.18"	पू73° 54' 16.83"
136	जे-136	उ24° 15' 28.64"	पू73° 54' 19.83"
137	जे-137	उ24° 15' 26.83"	पू73° 54' 23.37"
138	जे-138	उ24° 15' 26.38"	पू73° 54' 24.90"
139	जे-139	उ24° 15' 26.66"	पू73° 54' 28.22"
140	जे-140	उ24° 15' 26.89"	पू73° 54' 31.24"
141	जे-141	उ24° 15' 26.54"	पू73° 54' 34.05"
142	जे-142	उ24° 15' 25.88"	पू73° 54' 38.45"
143	जे-143	उ24° 15' 24.71"	पू73° 54' 42.42"
144	जे-144	उ24° 15' 23.48"	पू73° 54' 45.96"

145	जे-145	उ24° 15' 22.29"	पू73° 54' 49.76"
146	जे-146	उ24° 15' 21.09"	पू73° 54' 54.02"
147	जे-147	उ24° 15' 19.59"	पू73° 54' 58.19"
148	जे-148	उ24° 15' 18.36"	पू73° 55' 1.90"
149	जे-149	उ24° 15' 17.27"	पू73° 55' 5.41"
150	जे-150	उ24° 15' 16.15"	पू73° 55' 9.14"
151	जे-151	उ24° 15' 14.97"	पू73° 55' 13.03"
152	जे-152	उ24° 15' 13.45"	पू73° 55' 17.75"
153	जे-153	उ24° 15' 12.25"	पू73° 55' 21.58"
154	जे-154	उ24° 15' 10.97"	पू73° 55' 25.77"
155	जे-155	उ24° 15' 9.73"	पू73° 55' 29.18"
156	जे-156	उ24° 15' 8.65"	पू73° 55' 32.22"
157	जे-157	उ24° 15' 7.42"	पू73° 55' 35.97"
158	जे-158	उ24° 15' 6.49"	पू73° 55' 39.38"
159	जे-159	उ24° 15' 5.66"	पू73° 55' 42.85"
160	जे-160	उ24° 15' 4.96"	पू73° 55' 45.65"
161	जे-161	उ24° 15' 4.39"	पू73° 55' 47.45"
162	जे-162	उ24° 15' 3.58"	पू73° 55' 49.75"
163	जे-163	उ24° 15' 3.40"	पू73° 55' 52.84"
164	जे-164	उ24° 15' 3.43"	पू73° 55' 55.99"
165	जे-165	उ24° 15' 3.27"	पू73° 55' 58.26"
166	जे-166	उ24° 15' 2.91"	पू73° 55' 59.94"
167	जे-167	उ24° 15' 1.99"	पू73° 56' 1.84"
168	जे-168	उ24° 15' 0.91"	पू73° 56' 4.10"
169	जे-169	उ24° 14' 59.48"	पू73° 56' 8.27"
170	जे-170	उ24° 14' 58.91"	पू73° 56' 10.55"
171	जे-171	उ24° 14' 58.38"	पू73° 56' 12.43"
172	जे-172	उ24° 14' 57.79"	पू73° 56' 13.76"
173	जे-173	उ24° 14' 56.67"	पू73° 56' 15.52"
174	जे-174	उ24° 14' 55.39"	पू73° 56' 17.60"
175	जे-175	उ24° 14' 53.95"	पू73° 56' 20.17"
176	जे-176	उ24° 14' 51.42"	पू73° 56' 23.97"
177	जे-177	उ24° 14' 49.78"	पू73° 56' 27.87"
178	जे-178	उ24° 14' 48.11"	पू73° 56' 32.51"
179	जे-179	उ24° 14' 47.15"	पू73° 56' 36.05"
180	जे-180	उ24° 14' 46.37"	पू73° 56' 38.52"
181	जे-181	उ24° 14' 45.70"	पू73° 56' 39.63"

182	जे-182	उ24° 14' 43.87"	पू73° 56' 41.51"
183	जे-183	उ24° 14' 41.39"	पू73° 56' 43.86"
184	जे-184	उ24° 14' 38.68"	पू73° 56' 46.54"
185	जे-185	उ24° 14' 36.20"	पू73° 56' 49.00"
186	जे-186	उ24° 14' 34.65"	पू73° 56' 50.73"
187	जे-187	उ24° 14' 33.07"	पू73° 56' 52.74"
188	जे-188	उ24° 14' 31.29"	पू73° 56' 55.02"
189	जे-189	उ24° 14' 29.52"	पू73° 56' 57.51"
190	जे-190	उ24° 14' 28.78"	पू73° 56' 58.39"
191	जे-191	उ24° 14' 27.69"	पू73° 56' 59.07"
192	जे-192	उ24° 14' 23.67"	पू73° 57' 0.24"
193	जे-193	उ24° 14' 20.92"	पू73° 57' 1.03"
194	जे-194	उ24° 14' 19.66"	पू73° 57' 1.44"
195	जे-195	उ24° 14' 16.95"	पू73° 57' 2.68"
196	जे-196	उ24° 14' 14.60"	पू73° 57' 4.59"
197	जे-197	उ24° 14' 11.92"	पू73° 57' 6.69"
198	जे-198	उ24° 14' 8.74"	पू73° 57' 9.01"
199	जे-199	उ24° 14' 5.69"	पू73° 57' 11.17"
200	जे-200	उ24° 14' 2.05"	पू73° 57' 13.91"
201	जे-201	उ24° 14' 0.13"	पू73° 57' 16.30"
202	जे-202	उ24° 13' 57.74"	पू73° 57' 19.12"
203	जे-203	उ24° 13' 55.66"	पू73° 57' 21.58"
204	जे-204	उ24° 13' 53.39"	पू73° 57' 23.88"
205	जे-205	उ24° 13' 51.44"	पू73° 57' 25.93"
206	जे-206	उ24° 13' 49.11"	पू73° 57' 28.24"
207	जे-207	उ24° 13' 47.29"	पू73° 57' 29.99"
208	जे-208	उ24° 13' 45.57"	पू73° 57' 31.87"
209	जे-209	उ24° 13' 43.78"	पू73° 57' 34.01"
210	जे-210	उ24° 13' 42.11"	पू73° 57' 36.45"
211	जे-211	उ24° 13' 40.38"	पू73° 57' 38.93"
212	जे-212	उ24° 13' 38.12"	पू73° 57' 42.14"
213	जे-213	उ24° 13' 36.07"	पू73° 57' 45.03"
214	जे-214	उ24° 13' 33.69"	पू73° 57' 48.36"
215	जे-215	उ24° 13' 31.75"	पू73° 57' 50.98"
216	जे-216	उ24° 13' 29.84"	पू73° 57' 53.32"
217	जे-217	उ24° 13' 28.21"	पू73° 57' 55.43"
218	जे-218	उ24° 13' 27.63"	पू73° 57' 56.60"

219	जे-219	उ24° 13' 27.36"	पू73° 57' 58.66"
220	जे-220	उ24° 13' 27.40"	पू73° 58' 1.41"
221	जे-221	उ24° 13' 27.39"	पू73° 58' 5.69"
222	जे-222	उ24° 13' 27.26"	पू73° 58' 8.96"
223	जे-223	उ24° 13' 26.79"	पू73° 58' 10.73"
224	जे-224	उ24° 13' 25.46"	पू73° 58' 13.73"
225	जे-225	उ24° 13' 23.80"	पू73° 58' 17.26"
226	जे-226	उ24° 13' 22.49"	पू73° 58' 18.73"
227	जे-227	उ24° 13' 20.71"	पू73° 58' 20.47"
228	जे-228	उ24° 13' 17.64"	पू73° 58' 23.37"
229	जे-229	उ24° 13' 15.69"	पू73° 58' 24.90"
230	जे-230	उ24° 13' 14.09"	पू73° 58' 26.34"
231	जे-231	उ24° 13' 11.34"	पू73° 58' 28.85"
232	जे-232	उ24° 13' 7.91"	पू73° 58' 32.42"
233	जे-233	उ24° 13' 4.55"	पू73° 58' 36.40"
234	जे-234	उ24° 13' 1.52"	पू73° 58' 39.87"
235	जे-235	उ24° 12' 58.98"	पू73° 58' 43.05"
236	जे-236	उ24° 12' 56.64"	पू73° 58' 45.96"
237	जे-237	उ24° 12' 55.37"	पू73° 58' 47.51"
238	जे-238	उ24° 12' 52.84"	पू73° 58' 49.84"
239	जे-239	उ24° 12' 53.41"	पू73° 58' 52.22"
240	जे-240	उ24° 12' 52.03"	पू73° 58' 54.29"
241	जे-241	उ24° 12' 52.07"	पू73° 58' 56.23"
242	जे-242	उ24° 12' 52.70"	पू73° 58' 57.71"
243	जे-243	उ24° 12' 54.51"	पू73° 58' 59.90"
244	जे-244	उ24° 12' 55.44"	पू73° 59' 2.03"
245	जे-245	उ24° 12' 55.69"	पू73° 59' 3.22"
246	जे-246	उ24° 12' 56.19"	पू73° 59' 3.63"
247	जे-247	उ24° 12' 57.74"	पू73° 59' 8.38"
248	जे-248	उ24° 12' 56.60"	पू73° 59' 6.11"
249	जे-249	उ24° 12' 59.42"	पू73° 59' 10.75"
250	जे-250	उ24° 13' 0.66"	पू73° 59' 12.18"
251	जे-251	उ24° 13' 1.14"	पू73° 59' 13.12"
252	जे-252	उ24° 13' 02.05"	पू73° 59' 13.36"
253	जे-253	उ24° 13' 04.16"	पू73° 59' 14.36"
254	जे-254	उ24° 13' 6.00"	पू73° 59' 14.69"
255	जे-255	उ24° 13' 8.09"	पू73° 59' 14.50"

256	जे-256	उ24° 13' 10.43"	पू73° 59' 14.25"
257	जे-257	उ24° 13' 11.99"	पू73° 59' 14.38"
258	जे-258	उ24° 13' 14.37"	पू73° 59' 15.83"
259	जे-259	उ24° 13' 15.75"	पू73° 59' 16.49"
260	जे-260	उ24° 13' 16.45"	पू73° 59' 16.54"
261	जे-261	उ24° 13' 17.00"	पू73° 59' 16.85"
262	जे-262	उ24° 13' 19.25"	पू73° 59' 17.58"
263	जे-263	उ24° 13' 20.29"	पू73° 59' 17.87"
264	जे-264	उ24° 13' 21.27"	पू73° 59' 18.08"
265	जे-265	उ24° 13' 22.79"	पू73° 59' 18.56"
266	जे-266	उ24° 13' 23.87"	पू73° 59' 18.16"
267	जे-267	उ24° 13' 24.53"	पू73° 59' 17.67"
268	जे-268	उ24° 13' 24.96"	पू73° 59' 16.81"
269	जे-269	उ24° 13' 25.08"	पू73° 59' 16.12"
270	जे-270	उ24° 13' 25.31"	पू73° 59' 15.56"
271	जे-271	उ24° 13' 25.93"	पू73° 59' 15.11"
272	जे-272	उ24° 13' 26.35"	पू73° 59' 14.27"
273	जे-273	उ24° 13' 27.20"	पू73° 59' 13.90"
274	जे-274	उ24° 13' 27.94"	पू73° 59' 13.61"
275	जे-275	उ24° 13' 28.63"	पू73° 59' 13.58"
276	जे-276	उ24° 13' 29.00"	पू73° 59' 13.50"
277	जे-277	उ24° 13' 29.40"	पू73° 59' 13.04"
278	जे-278	उ24° 13' 29.85"	पू73° 59' 12.84"
279	जे-279	उ24° 13' 30.81"	पू73° 59' 12.31"
280	जे-280	उ24° 13' 31.19"	पू73° 59' 11.69"
281	जे-281	उ24° 13' 31.49"	पू73° 59' 10.78"
282	जे-282	उ24° 13' 31.53"	पू73° 59' 10.39"
283	जे-283	उ24° 13' 31.91"	पू73° 59' 9.54"
284	जे-284	उ24° 13' 32.99"	पू73° 59' 8.80"
285	जे-285	उ24° 13' 33.75"	पू73° 59' 7.52"
286	जे-286	उ24° 13' 34.50"	पू73° 59' 7.07"
287	जे-287	उ24° 13' 34.68"	पू73° 59' 6.56"
288	जे-288	उ24° 13' 35.31"	पू73° 59' 5.66"
289	जे-289	उ24° 13' 35.60"	पू73° 59' 5.49"
290	जे-290	उ24° 13' 35.97"	पू73° 59' 4.52"
291	जे-291	उ24° 13' 37.96"	पू73° 59' 03.23"
292	जे-292	उ24° 13' 46.77"	पू73° 58' 57.16"

293	जे-293	उ24° 13' 53.54"	पू73° 58' 52.33"
294	जे-294	उ24° 13' 56.30"	पू73° 58' 49.20"
295	जे-295	उ24° 13' 58.50"	पू73° 58' 45.89"
296	जे-296	उ24° 14' 00.69"	पू73° 58' 45.63"
297	जे-297	उ24° 14' 3.68"	पू73° 58' 43.19"
298	जे-298	उ24° 14' 5.89"	पू73° 58' 41.21"
299	जे-299	उ24° 14' 06.22"	पू73° 58' 38.08"
300	जे-300	उ24° 14' 6.33"	पू73° 58' 37.17"
301	जे-301	उ24° 14' 6.87"	पू73° 58' 37.05"
302	जे-302	उ24° 14' 8.99"	पू73° 58' 39.91"
303	जे-303	उ24° 14' 14.02"	पू73° 58' 38.55"
304	जे-304	उ24° 14' 16.95"	पू73° 58' 36.38"
305	जे-305	उ24° 14' 15.32"	पू73° 58' 36.20"
306	जे-306	उ24° 14' 15.81"	पू73° 58' 33.31"
307	जे-307	उ24° 14' 16.08"	पू73° 58' 30.71"
308	जे-308	उ24° 14' 17.56"	पू73° 58' 29.56"
309	जे-309	उ24° 14' 20.39"	पू73° 58' 27.59"
310	जे-310	उ24° 14' 22.40"	पू73° 58' 24.68"
311	जे-311	उ24° 14' 22.67"	पू73° 58' 22.96"
312	जे-312	उ24° 14' 23.59"	पू73° 58' 21.94"
313	जे-313	उ24° 14' 31.15"	पू73° 58' 23.23"
314	जे-314	उ24° 14' 34.95"	पू73° 58' 17.16"
315	जे-315	उ24° 14' 31.23"	पू73° 58' 16.44"
316	जे-316	उ24° 14' 38.00"	पू73° 58' 14.48"
317	जे-317	उ24° 14' 53.28"	पू73° 58' 02.83"
318	जे-318	उ24° 14' 55.83"	पू73° 57' 59.09"
319	जे-319	उ24° 14' 41.05"	पू73° 58' 05.73"
320	जे-320	उ24° 14' 40.55"	पू73° 58' 07.00"
321	जे-321	उ24° 14' 38.32"	पू73° 58' 05.46"
322	जे-322	उ24° 14' 34.10"	पू73° 58' 04.69"
323	जे-323	उ24° 14' 37.23"	पू73° 58' 00.29"
324	जे-324	उ24° 14' 39.33"	पू73° 57' 58.98"
325	जे-325	उ24° 14' 41.14"	पू73° 57' 56.33"
326	जे-326	उ24° 14' 39.79"	पू73° 57' 54.93"
327	जे-327	उ24° 14' 47.99"	पू73° 57' 47.14"
328	जे-328	उ24° 14' 55.11"	पू73° 57' 36.00"

329	जे-329	उ24° 14' 46.01"	पू73° 57' 34.03"
330	जे-330	उ24° 14' 37.72"	पू73° 57' 34.09"
331	जे-331	उ24° 14' 36.62"	पू73° 57' 23.93"
332	जे-332	उ24° 14' 30.66"	पू73° 57' 24.71"
333	जे-333	उ24° 14' 24.35"	पू73° 57' 27.37"
334	जे-334	उ24° 14' 19.71"	पू73° 57' 28.41"
335	जे-335	उ24° 14' 26.17"	पू73° 57' 21.15"
336	जे-336	उ24° 14' 15.35"	पू73° 57' 24.40"
337	जे-337	उ24° 14' 19.75"	पू73° 57' 20.13"
338	जे-338	उ24° 14' 23.74"	पू73° 57' 15.16"
339	जे-339	उ24° 14' 31.82"	पू73° 57' 05.70"
340	जे-340	उ24° 14' 34.49"	पू73° 57' 01.87"
341	जे-341	उ24° 14' 36.33"	पू73° 57' 00.79"
342	जे-342	उ24° 14' 35.60"	पू73° 57' 08.85"
343	जे-343	उ24° 14' 35.81"	पू73° 57' 09.57"
344	जे-344	उ24° 14' 38.71"	पू73° 57' 09.48"
345	जे-345	उ24° 14' 41.81"	पू73° 57' 08.50"
346	जे-346	उ24° 14' 44.37"	पू73° 57' 08.10"
347	जे-347	उ24° 14' 45.67"	पू73° 57' 08.29"
348	जे-348	उ24° 14' 45.91"	पू73° 57' 09.05"
349	जे-349	उ24° 14' 44.14"	पू73° 57' 10.73"
350	जे-350	उ24° 14' 41.93"	पू73° 57' 11.40"
351	जे-351	उ24° 14' 40.19"	पू73° 57' 13.91"
352	जे-352	उ24° 14' 42.93"	पू73° 57' 15.42"
353	जे-353	उ24° 14' 45.30"	पू73° 57' 14.69"
354	जे-354	उ24° 14' 47.31"	पू73° 57' 14.02"
355	जे-355	उ24° 14' 50.00"	पू73° 57' 13.92"
356	जे-356	उ24° 14' 51.01"	पू73° 57' 13.84"
357	जे-357	उ24° 14' 48.67"	पू73° 57' 16.16"
358	जे-358	उ24° 14' 46.74"	पू73° 57' 17.90"
359	जे-359	उ24° 14' 46.92"	पू73° 57' 18.40"
360	जे-360	उ24° 14' 50.72"	पू73° 57' 19.54"
361	जे-361	उ24° 14' 53.59"	पू73° 57' 19.39"
362	जे-362	उ24° 14' 54.45"	पू73° 57' 19.62"
363	जे-363	उ24° 14' 57.64"	पू73° 57' 18.80"
364	जे-364	उ24° 15' 0.27"	पू73° 57' 17.89"
365	जे-365	उ24° 15' 2.91"	पू73° 57' 16.53"

366	जे-366	उ24° 15' 5.60"	पू73° 57' 15.37"
367	जे-367	उ24° 15' 9.78"	पू73° 57' 14.53"
368	जे-368	उ24° 15' 10.97"	पू73° 57' 14.81"
369	जे-369	उ24° 15' 12.39"	पू73° 57' 14.34"
370	जे-370	उ24° 15' 13.65"	पू73° 57' 16.12"
371	जे-371	उ24° 15' 15.74"	पू73° 57' 18.66"
372	जे-372	उ24° 15' 19.57"	पू73° 57' 20.47"
373	जे-373	उ24° 15' 20.77"	पू73° 57' 20.53"
374	जे-374	उ24° 15' 22.36"	पू73° 57' 21.18"
375	जे-375	उ24° 15' 23.50"	पू73° 57' 21.10"
376	जे-376	उ24° 15' 25.93"	पू73° 57' 18.44"
377	जे-377	उ24° 15' 26.49"	पू73° 57' 17.34"
378	जे-378	उ24° 15' 27.97"	पू73° 57' 16.44"
379	जे-379	उ24° 15' 28.60"	पू73° 57' 15.07"
380	जे-380	उ24° 15' 30.97"	पू73° 57' 13.38"
381	जे-381	उ24° 15' 31.89"	पू73° 57' 11.63"
382	जे-382	उ24° 15' 32.03"	पू73° 57' 10.71"
383	जे-383	उ24° 15' 36.72"	पू73° 57' 08.29"
384	जे-384	उ24° 15' 37.87"	पू73° 57' 08.50"
385	जे-385	उ24° 15' 39.96"	पू73° 57' 07.31"
386	जे-386	उ24° 15' 42.35"	पू73° 57' 03.62"
387	जे-387	उ24° 15' 42.18"	पू73° 57' 02.46"
388	जे-388	उ24° 15' 39.36"	पू73° 56' 59.43"
389	जे-389	उ24° 15' 37.61"	पू73° 56' 56.86"
390	जे-390	उ24° 15' 38.00"	पू73° 56' 54.73"
391	जे-391	उ24° 15' 42.16"	पू73° 56' 51.68"
392	जे-392	उ24° 15' 46.71"	पू73° 56' 48.05"
393	जे-393	उ24° 15' 50.11"	पू73° 56' 45.80"
394	जे-394	उ24° 15' 54.02"	पू73° 56' 43.89"
395	जे-395	उ24° 15' 57.96"	पू73° 56' 41.03"
396	जे-396	उ24° 15' 59.69"	पू73° 56' 40.15"
397	जे-397	उ24° 16' 2.79"	पू73° 56' 41.39"
398	जे-398	उ24° 16' 4.52"	पू73° 56' 39.48"
399	जे-399	उ24° 16' 4.97"	पू73° 56' 36.39"
400	जे-400	उ24° 16' 1.57"	पू73° 56' 35.26"
401	जे-401	उ24° 15' 59.11"	पू73° 56' 36.51"
402	जे-402	उ24° 16' 0.11"	पू73° 56' 33.52"

403	जे-403	उ24° 16' 01.57"	पू73° 56' 31.76"
404	जे-404	उ24° 16' 05.15"	पू73° 56' 31.07"
405	जे-405	उ24° 16' 06.45"	पू73° 56' 29.75"
406	जे-406	उ24° 16' 07.95"	पू73° 56' 27.92"
407	जे-407	उ24° 16' 08.41"	पू73° 56' 26.23"
408	जे-408	उ24° 16' 10.70"	पू73° 56' 24.57"
409	जे-409	उ24° 16' 12.54"	पू73° 56' 21.72"
410	जे-410	उ24° 16' 13.14"	पू73° 56' 21.71"
411	जे-411	उ24° 16' 14.64"	पू73° 56' 20.71"
412	जे-412	उ24° 16' 17.20"	पू73° 56' 19.92"
413	जे-413	उ24° 16' 19.20"	पू73° 56' 20.17"
414	जे-414	उ24° 16' 21.59"	पू73° 56' 18.66"
415	जे-415	उ24° 16' 21.28"	पू73° 56' 17.66"
416	जे-416	उ24° 16' 24.78"	पू73° 56' 15.21"
417	जे-417	उ24° 16' 29.04"	पू73° 56' 12.16"
418	जे-418	उ24° 16' 38.90"	पू73° 56' 08.65"
419	जे-419	उ24° 16' 32.36"	पू73° 56' 10.49"
420	जे-420	उ24° 16' 33.42"	पू73° 56' 09.89"
421	जे-421	उ24° 16' 35.64"	पू73° 56' 09.52"
422	जे-422	उ24° 16' 41.85"	पू73° 56' 07.80"
423	जे-423	उ24° 16' 47.94"	पू73° 56' 07.05"
424	जे-424	उ24° 16' 51.11"	पू73° 56' 07.21"
425	जे-425	उ24° 16' 52.46"	पू73° 56' 06.58"
426	जे-426	उ24° 16' 55.85"	पू73° 56' 05.48"
427	जे-427	उ24° 16' 56.85"	पू73° 56' 04.26"
428	जे-428	उ24° 16' 57.58"	पू73° 56' 02.29"
429	जे-429	उ24° 16' 58.68"	पू73° 55' 59.44"
430	जे-430	उ24° 16' 58.95"	पू73° 55' 57.36"
431	जे-431	उ24° 16' 58.07"	पू73° 55' 56.33"
432	जे-432	उ24° 16' 56.45"	पू73° 55' 54.43"
433	जे-433	उ24° 16' 56.91"	पू73° 55' 51.84"
434	जे-434	उ24° 16' 57.48"	पू73° 55' 50.83"
435	जे-435	उ24° 16' 58.06"	पू73° 55' 48.15"
436	जे-436	उ24° 16' 56.23"	पू73° 55' 45.50"
437	जे-437	उ24° 16' 56.64"	पू73° 55' 44.23"
438	जे-438	उ24° 16' 55.63"	पू73° 55' 41.44"
439	जे-439	उ24° 16' 59.92"	पू73° 55' 33.07"

440	जे-440	उ24° 17' 13.50"	पू73° 55' 20.71"
441	जे-441	उ24° 17' 18.53"	पू73° 55' 17.21"
442	जे-442	उ24° 17' 22.52"	पू73° 55' 13.40"
443	जे-443	उ24° 17' 4.02"	पू73° 55' 29.27"
444	जे-444	उ24° 17' 8.32"	पू73° 55' 25.21"
445	जे-445	उ24° 16' 56.68"	पू73° 55' 36.52"
446	जे-446	उ24° 17' 26.15"	पू73° 55' 10.46"
447	जे-447	उ24° 17' 31.08"	पू73° 55' 07.15"
448	जे-448	उ24° 17' 34.00"	पू73° 55' 05.54"
449	जे-449	उ24° 17' 51.96"	पू73° 54' 53.21"
450	जे-450	उ24° 17' 59.98"	पू73° 54' 46.45"
451	जे-451	उ24° 17' 38.68"	पू73° 55' 02.34"
452	जे-452	उ24° 17' 43.45"	पू73° 54' 59.79"
453	जे-453	उ24° 17' 47.87"	पू73° 54' 56.33"
454	जे-454	उ24° 17' 55.49"	पू73° 54' 50.46"
455	जे-455	उ24° 18' 03.94"	पू73° 54' 42.65"
456	जे-456	उ24° 18' 06.30"	पू73° 54' 39.17"
457	जे-457	उ24° 18' 08.85"	पू73° 54' 32.55"
458	जे-458	उ24° 18' 10.70"	पू73° 54' 28.82"
459	जे-459	उ24° 18' 10.93"	पू73° 54' 24.81"
460	जे-460	उ24° 18' 12.38"	पू73° 54' 19.23"
461	जे-461	उ24° 18' 14.51"	पू73° 54' 14.45"
462	जे-462	उ24° 18' 16.01"	पू73° 54' 09.63"
463	जे-463	उ24° 18' 18.05"	पू73° 54' 04.65"
464	जे-464	उ24° 18' 18.27"	पू73° 54' 03.98"
465	जे-465	उ24° 18' 19.56"	पू73° 53' 59.98"
466	जे-466	उ24° 18' 19.21"	पू73° 53' 58.66"
467	जे-467	उ24° 18' 20.25"	पू73° 53' 55.38"
468	जे-468	उ24° 18' 22.49"	पू73° 53' 51.53"
469	जे-469	उ24° 18' 24.20"	पू73° 53' 48.97"
470	जे-470	उ24° 18' 26.35"	पू73° 53' 45.55"
471	जे-471	उ24° 18' 28.41"	पू73° 53' 40.54"
472	जे-472	उ24° 18' 30.22"	पू73° 53' 35.54"
473	जे-473	उ24° 18' 32.37"	पू73° 53' 30.52"
474	जे-474	उ24° 18' 34.28"	पू73° 53' 25.66"
475	जे-475	उ24° 18' 36.49"	पू73° 53' 19.80"
476	जे-476	उ24° 18' 37.63"	पू73° 53' 14.20"

477	जे-477	उ24° 18' 38.77"	पू73° 53' 08.92"
478	जे-478	उ24° 18' 40.42"	पू73° 53' 04.01"
479	जे-479	उ24° 18' 42.67"	पू73° 53' 00.56"
480	जे-480	उ24° 18' 42.09"	पू73° 52' 59.56"
481	जे-481	उ24° 18' 42.94"	पू73° 52' 57.46"
482	जे-482	उ24° 18' 44.25"	पू73° 52' 56.07"
483	जे-483	उ24° 18' 46.22"	पू73° 52' 51.95"
484	जे-484	उ24° 18' 48.18"	पू73° 52' 46.88"
485	जे-485	उ24° 18' 51.89"	पू73° 52' 42.00"
486	जे-486	उ24° 18' 56.25"	पू73° 52' 36.81"
487	जे-487	उ24° 19' 1.69"	पू73° 52' 30.44"
488	जे-488	उ24° 19' 05.93"	पू73° 52' 23.42"
489	जे-489	उ24° 19' 12.97"	पू73° 52' 20.32"
490	जे-490	उ24° 19' 08.76"	पू73° 52' 12.50"
491	जे-491	उ24° 19' 06.76"	पू73° 52' 07.51"
492	जे-492	उ24° 19' 06.36"	पू73° 52' 05.73"
493	जे-493	उ24° 19' 05.98"	पू73° 52' 04.81"
494	जे-494	उ24° 19' 04.75"	पू73° 52' 03.38"
495	जे-495	उ24° 19' 04.20"	पू73° 52' 01.64"
496	जे-496	उ24° 19' 02.84"	पू73° 51' 59.73"
497	जे-497	उ24° 18' 54.07"	पू73° 51' 49.62"
498	जे-498	उ24° 18' 49.57"	पू73° 51' 44.59"
499	जे-499	उ24° 18' 48.57"	पू73° 51' 43.05"
500	जे-500	उ24° 18' 46.07"	पू73° 51' 37.69"
501	जे-501	उ24° 18' 44.92"	पू73° 51' 35.70"
502	जे-502	उ24° 18' 42.15"	पू73° 51' 32.62"
503	जे-503	उ24° 18' 41.24"	पू73° 51' 29.70"
504	जे-504	उ24° 18' 39.47"	पू73° 51' 28.32"
505	जे-505	उ24° 18' 37.76"	पू73° 51' 24.81"
506	जे-506	उ24° 18' 37.70"	पू73° 51' 18.73"
507	जे-507	उ24° 18' 37.01"	पू73° 51' 17.30"
508	जे-508	उ24° 18' 35.10"	पू73° 51' 10.19"
509	जे-509	उ24° 18' 33.55"	पू73° 51' 08.20"
510	जे-510	उ24° 18' 33.57"	पू73° 50' 59.73"
511	जे-511	उ24° 18' 30.84"	पू73° 50' 51.68"
512	जे-512	उ24° 18' 29.72"	पू73° 50' 51.01"
513	जे-513	उ24° 18' 28.82"	पू73° 50' 50.75"

514	जे-514	उ24° 18' 25.21"	पू73° 50' 49.67"
515	जे-515	उ24° 18' 19.89"	पू73° 50' 50.54"
516	जे-516	उ24° 18' 14.47"	पू73° 50' 51.52"
517	जे-517	उ24° 18' 09.4"	पू73° 50' 49.20"
518	जे-518	उ24° 18' 09.9"	पू73° 50' 45.60"
519	जे-519	उ24° 18' 10.10"	पू73° 50' 43.10"
520	जे-520	उ24° 18' 10.55"	पू73° 50' 42.35"
521	जे-521	उ24° 18' 10.55"	पू73° 50' 41.51"
522	जे-522	उ24° 18' 09.9"	पू73° 50' 41.00"
523	जे-523	उ24° 18' 9.13"	पू73° 50' 37.65"
524	जे-524	उ24° 18' 06.3"	पू73° 50' 33.20"

## सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	बिंदु कोड	अक्षांश	देशांतर
1	ई01	उ24°22'35.13"	पू73°49'02.08"
2	ई02	उ24°22'46.25"	पू73°49'28.39"
3	ई03	उ24°22'33.44"	पू73°49'39.97"
4	ई04	उ24°22'19.35"	पू73°49'53.17"
5	ई05	उ24°22'01.07"	पू73°50'14.84"
6	ई06	उ24°21'51.82"	पू73°50'35.07"
7	ई07	उ24°21'31.24"	पू73°51'01.89"
8	ई08	उ24°21'17.76"	पू73°51'15.65"
9	ई09	उ24°21'17.90"	पू73°51'29.11"
10	ई10	उ24°21'16.34"	पू73°51'43.38"
11	ई11	उ24°21'06.06"	पू73°51'57.11"
12	ई12	उ24°20'54.85"	पू73°52'06.09"
13	ई13	उ24°20'44.72"	पू73°52'21.92"
14	ई14	उ24°21'02.19"	पू73°52'29.67"
15	ई15	उ24°20'48.59"	पू73°52'45.69"
16	ई16	उ24°20'35.15"	पू73°52'55.59"
17	ई17	उ24°20'30.32"	पू73°53'05.95"
18	ई18	उ24°20'44.35"	पू73°53'11.12"
19	ई19	उ24°20'09.97"	पू73°53'27.35"
20	ई20	उ24°20'01.59"	पू73°53'38.73"
21	ई21	उ24°19'48.94"	पू73°53'46.76"
22	ई22	उ24°19'44.02"	पू73°53'57.27"

23	ई23	उ24°19'37.35"	पू73°54'09.84"
24	ई24	उ24°19'32.98"	पू73°54'09.63"
25	ई25	उ24°19'31.67"	पू73°54'25.18"
26	ई26	उ24°19'34.47"	पू73°54'45.37"
27	ई27	उ24°19'27.53"	पू73°55'19.35"
28	ई28	उ24°19'12.54"	पू73°55'47.33"
29	ई29	उ24°19'09.05"	पू73°56'14.14"
30	ई30	उ24°18'43.07"	पू73°56'41.06"
31	ई31	उ24°18'38.23"	पू73°57'54.93"
32	ई32	उ24°18'16.52"	पू73°58'18.87"
33	ई33	उ24°17'57.02"	पू73°58'37.84"
34	ई34	उ24°17'56.07"	पू73°59'41.25"
35	ई35	उ24°18'14.64"	पू74° 00'07.51"
36	ई36	उ24°18'21.30"	पू74° 00'21.07"
37	ई37	उ24°18'15.05"	पू74° 00'22.56"
38	ई38	उ24°18'13.31"	पू74° 00'52.71"
39	ई39	उ24°18'05.48"	पू74° 01'26.77"
40	ई40	उ24°17'47.39"	पू74° 01'41.97"
41	ई41	उ24°17'44.37"	पू74° 02'01.02"
42	ई42	उ24°17'37.03"	पू74° 02'15.96"
43	ई43	उ24°16'59.17"	पू74° 02'16.22"
44	ई44	उ24°16'20.55"	पू74° 02'35.86"
45	ई45	उ24°16'00.48"	पू74° 02'41.53"
46	ई46	उ24°15'45.45"	पू74° 02'55.54"
47	ई47	उ24°15'25.86"	पू74° 02'58.78"
48	ई48	उ24°15'17.07"	पू74° 03'01.92"
49	ई49	उ24°15'15.28"	पू74° 02'55.73"
50	ई50	उ24°14'32.36"	पू74° 02'51.42"
51	ई51	उ24°14'05.87"	पू74° 02'50.50"
52	ई52	उ24°14'03.39"	पू74° 02'26.56"
53	ई53	उ24°13'39.84"	पू74° 02'15.11"
54	ई54	उ24°13'05.69"	पू74° 02'06.98"
55	ई55	उ24°12'50.81"	पू74° 01'59.06"
56	ई56	उ24°12'53.34"	पू74° 01'35.75"
57	ई57	उ24°13'00.26"	पू74° 01'15.91"
58	ई58	उ24°12'39.24"	पू74° 00'25.18"
59	ई59	उ24°12'24.44"	पू73°59'57.63"

60	ई60	उ24°11'59.41"	पू73°59'36.50"
61	ई61	उ24°12'02.48"	पू73°59'07.35"
62	ई62	उ24°12'10.51"	पू73°58'37.47"
63	ई63	उ24°11'52.04"	पू73°58'21.21"
64	ई64	उ24°11'39.52"	पू73°58'19.75"
65	ई65	उ24°11'59.29"	पू73°57'43.99"
66	ई66	उ24°12'01.73"	पू73°57'17.50"
67	ई67	उ24°12'25.26"	पू73°57'13.06"
68	ई68	उ24°12'55.41"	पू73°56'27.99"
69	ई69	उ24°13'21.79"	पू73°56'17.07"
70	ई70	उ24°13'21.87"	पू73°56'02.16"
71	ई71	उ24°13'37.89"	पू73°55'42.30"
72	ई72	उ24°13'30.92"	पू73°55'09.63"
73	ई73	उ24°13'28.28"	पू73°54'57.40"
74	ई74	उ24°13'32.20"	पू73°54'46.03"
75	ई75	उ24°13'37.02"	पू73°53'51.22"
76	ई76	उ24°13'37.10"	पू73°53'21.28"
77	ई77	उ24°13'51.76"	पू73°53'17.22"
78	ई78	उ24°13'55.62"	पू73°53'09.82"
79	ई79	उ24°13'51.97"	पू73°52'38.89"
80	ई80	उ24°14'02.75"	पू73°52'11.99"
81	ई81	उ24°14'12.59"	पू73°51'57.70"
82	ई82	उ24°14'12.11"	पू73°51'35.70"
83	ई83	उ24°14'36.90"	पू73°51'20.53"
84	ई84	उ24°15'07.52"	पू73°50'58.79"
85	ई85	उ24°15'48.47"	पू73°50'22.75"
86	ई86	उ24°16'19.31"	पू73°49'55.97"
87	ई87	उ24°17'15.37"	पू73°48'53.45"
88	ई88	उ24°17'38.03"	पू73°48'50.36"
89	ई89	उ24°18'3.69"	पू73°48'50.03"
90	ई90	उ24°18'29.02"	पू73°48'45.95"
91	ई91	उ24°19'06.87"	पू73°48'33.65"
92	ई92	उ24°19'33.98"	पू73°48'12.91"
93	ई93	उ24°19'43.85"	पू73°47'42.61"
94	ई94	उ24°19'59.37"	पू73°47'27.41"
95	ई95	उ24°20'04.53"	पू73°47'14.44"

96	ई96	उ24°20'19.01"	पू73°47'00.46"
97	ई97	उ24°20'42.07"	पू73°47'13.88"
98	ई98	उ24°20'59.16"	पू73°47'08.87"
99	ई99	उ24°21'19.80"	पू73°47'09.79"
100	ई100	उ24°21'21.28"	पू73°47'26.41"
101	ई101	उ24°21'31.08"	पू73°47'23.39"
102	ई102	उ24°21'40.91"	पू73°47'23.44"
103	ई103	उ24°21'57.33"	पू73°47'25.95"
104	ई104	उ24°22'10.97"	पू73°47'26.41"
105	ई105	उ24°22'13.53"	पू73°47'49.26"
106	ई106	उ24°22'16.49"	पू73°48'14.85"
107	ई107	उ24°22'20.57"	पू73°48'39.49"
108	ई108	उ24°22'32.94"	पू73°48'37.28"

## उपांग-IV

भू-निर्देशांकों के साथ जयसंमद वन्यजीव अभ्यारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	स्थान	तहसील	ग्राम के अंतर्गत	अक्षांश	देशांतर
1	अदवास	सारदा	संरक्षित क्षेत्र में ग्राम	उ24° 19' 20.85"	पू73° 53' 20.16"
2	अजबरा	सारदा	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्राम	उ24° 20' 26.75"	पू73° 51' 37.67"
3	अमरपुरा	सारदा	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्राम	उ24° 19' 27.30"	पू73° 49' 31.94"
4	बाबा का मगरा	सारदा	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्राम	उ24° 17' 16.64"	पू73° 57' 26.80"
5	बगरूवा	सारदा	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्राम	उ24° 23' 15.89"	पू73° 49' 18.70"
6	बसीतर झुझावत	सलूम्बर	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्राम	उ24° 12' 09.07"	पू73° 58' 07.75"
7	बस्सी जोयारा	सलूम्बर	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्राम	उ24° 12' 42.35"	पू73° 58' 07.31"
8	बासू	गिरवा	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्राम	उ24° 22' 36.78"	पू73° 51' 47.25"
9	बतूका	सारदा	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्राम	उ24° 14' 45.42"	पू73° 52' 31.00"
10	भाईसोन का नामला	सलूम्बर	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्राम	उ24° 15' 19.34"	पू74° 00' 45.77"
11	भाईसोन का नामला	सलूम्बर	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्राम	उ24° 13' 39.60"	पू74° 01' 06.24"
12	भटवारा	सारदा	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्राम	उ24° 15' 30.58"	पू73° 58' 38.72"
13	भीमपुरा	सलूम्बर	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्राम	उ24° 13' 46.60"	पू74° 02' 02.93"
14	बिलिया का गुरहा	सलूम्बर	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्राम	उ24° 12' 4.85"	पू74° 01' 38.82"
15	बोबस	सारदा	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्राम	उ24° 16' 36.04"	पू73° 50' 36.58"
16	बूतवास	सारदा	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्राम	उ24° 13' 52.74"	पू73° 56' 06.86"
17	बोरला	सलूम्बर	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्राम	उ24° 14' 40.74"	पू74° 02' 35.02"
18	चन्दाजी का गुरहा	सारदा	संरक्षित क्षेत्र में ग्राम	उ24° 16' 12.47"	पू73° 53' 18.93"

19	छतपुर	सलूम्बर	संरक्षित क्षेत्र में ग्राम	उ24° 13' 1.75"	पू73° 58' 27.04"
20	छपरवाली थोरी	सारदा	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्राम	उ24° 18' 25.95"	पू73° 58' 40.81"
21	चिंबोरा	सलूम्बर	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्राम	उ24° 13' 26.87"	पू74° 01' 37.75"
22	दंगीखेरा	सारदा	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्राम	उ24° 17' 50.79"	पू73° 48' 58.53"
23	दावना	सारदा	संरक्षित क्षेत्र में ग्राम	उ24° 19' 05.78"	पू73° 55' 05.05"
24	देवला	सारदा	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्राम	उ24° 21' 33.38"	पू73° 49' 43.31"
25	धानी मेलाना	सारदा	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्राम	उ24° 14' 02.16"	पू73° 52' 49.04"
26	धावादिया	सारदा	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्राम	उ24° 17' 48.45"	पू73° 49' 42.69"
27	धुलजी का गुरहा	सलूम्बर	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्राम	उ24° 17' 22.52"	पू74° 02' 26.11"
28	दोलपुरा	सलूम्बर	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्राम	उ24° 12' 46.44"	पू74° 02' 24.65"
29	गमरी	सारदा	संरक्षित क्षेत्र में ग्राम	उ24° 16' 19.44"	पू73° 56' 56.41"
30	गांधीपुरा	सारदा	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्राम	उ24° 13' 11.49"	पू73° 57' 52.25"
31	गतोर	सारदा	संरक्षित क्षेत्र में ग्राम	उ24° 15' 08.83"	पू73° 56' 37.37"
32	गीगची खेरा	सारदा	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्राम	उ24° 18' 13.79"	पू73° 50' 20.91"
33	घाटी	सलूम्बर	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्राम	उ24° 14' 30.42"	पू74° 01' 54.97"
34	गिंगला	सलूम्बर	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्राम	उ24° 17' 51.53"	पू73° 02' 02.52"
35	जम्बौरा	सारदा	संरक्षित क्षेत्र में ग्राम	उ24° 16' 28.34"	पू73° 55' 28.78"
36	जरीयाना	सारदा	संरक्षित क्षेत्र में ग्राम	उ24° 18' 02.23"	पू73° 51' 10.71"
37	जावद	सारदा	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्राम	उ24° 19' 28.90"	पू73° 55' 41.07"
38	जयसमन्द टेंक	सारदा	संरक्षित क्षेत्र में ग्राम	उ24° 16' 03.09"	पू73° 58' 49.87"
39	झडोल	सारदा	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्राम	उ24° 13' 31.41"	पू73° 54' 06.04"
40	जुनिझर	सारदा	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्राम	उ24° 17' 58.52"	पू73° 55' 52.53"
41	काली-मगरी	सलूम्बर	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्राम	उ24° 13' 09.50"	पू74° 01' 58.96"
42	कंतोरा	सारदा	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्राम	उ24° 12' 50.11"	पू73° 56' 55.21"
43	करोदिया	सारदा	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्राम	उ24° 14' 38.71"	पू73° 59' 7.94"
44	खेराद	सलूम्बर	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्राम	उ24° 11' 37.77"	पू73° 00' 8.06"
45	लालपुरियाa	सारदा	संरक्षित क्षेत्र में ग्राम	उ24° 13' 37.35"	पू73° 58' 51.52"
46	महुरी	सारदा	संरक्षित क्षेत्र में ग्राम	उ24° 16' 44.68"	पू73° 54' 27.41"
47	महुवारा	सारदा	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्राम	उ24° 19' 12.03"	पू73° 48' 08.92"
48	मकरसिमा	सलूम्बर	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्राम	उ24° 14' 07.22"	पू74° 02' 32.21"
49	मेन्दुरा	सारदा	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्राम	उ24° 18' 23.95"	पू73° 57' 19.28"
50	मेथुरी	सलूम्बर	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्राम	उ24° 17' 54.89"	पू74° 00' 23.52"
51	मून्डला	सारदा	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्राम	उ24° 13' 55.57"	पू73° 51' 16.58"
52	नाइझर	सारदा	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्राम	उ24° 18' 57.92"	पू73° 56' 12.98"

53	नंदवी	सारदा	संरक्षित क्षेत्र में ग्राम	उ24° 18' 26.29"	पू73° 51' 58.06"
54	नारपुरा	सलूम्बर	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्राम	उ24° 14' 04.65"	पू74° 02' 01.26"
55	नया कुआं	सारदा	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्राम	उ24° 17' 43.91"	पू73° 59' 02.94"
56	नेवा तलाई (सी टी)	सारदा	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्राम	उ24° 21' 49.99"	पू73° 47' 40.39"
57	ओडा	सारदा	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्राम	उ24° 22' 43.91"	पू73° 48' 34.49"
58	पादरदा	सारदा	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्राम	उ24° 14' 47.39"	पू73° 53' 43.48"
59	पाडला	सारदा	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्राम	उ24° 20' 21.06"	पू73° 47' 04.06"
60	पहारी	सारदा	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्राम	उ24° 13' 14.70"	पू73° 55' 39.98"
61	पलोद्रा	सारदा	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्राम	उ24° 19' 50.41"	पू73° 50' 40.26"
62	पलुना	सारदा	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्राम	उ24° 19' 06.80"	पू73° 51' 09.63"
63	पानी कोटरा	सलूम्बर	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्राम	उ24° 15' 38.70"	पू74° 02' 07.25"
64	पाटन	सलूम्बर	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्राम	उ24° 17' 42.48"	पू74° 00' 59.38"
65	पायरी	सलूम्बर	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्राम	उ24° 17' 42.07"	पू74° 01' 35.56"
66	पूलाधार	सारदा	संरक्षित क्षेत्र में ग्राम	उ24° 16' 34.79"	पू73° 51' 50.34"
67	पियाबारी	सारदा	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्राम	उ24° 18' 25.40"	पू73° 57' 50.81"
68	राठौरोन का गुरहा	सलूम्बर	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्राम	उ24° 12' 48.98"	पू74° 00' 59.27"
69	रेलान	सारदा	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्राम	उ24° 20' 17.75"	पू73° 47' 26.24"
70	रेंथ गुरिया	सारदा	संरक्षित क्षेत्र में ग्राम	उ24° 14' 02.59"	पू74° 00' 12.33"
71	रोवा	सलूम्बर	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्राम	उ24° 13' 28.18"	पू73° 59' 34.93"
72	रुनैजा	गिरवा	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्राम	उ24° 20' 50.52"	पू73° 52' 21.12"
73	सल्लारा	सारदा	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्राम	उ24° 11' 41.33"	पू73° 56' 10.95"
74	सराङ्गी	सलूम्बर	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्राम	उ24° 16' 32.07"	पू74° 02' 05.94"
75	सरसिया	सारदा	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्राम	उ24° 15' 13.57"	पू73° 50' 17.62"
76	सरसिया काड	सारदा	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्राम	उ24° 17' 00.25"	पू73° 49' 47.72"
77	सेमाल	सारदा	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्राम	उ24° 17' 46.97"	पू73° 59' 40.08"
78	श्यामपुरा	सारदा	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्राम	उ24° 14' 43.18"	पू73° 54' 50.77"
79	सिंगावाली	सलूम्बर	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्राम	उ24° 15' 18.11"	पू74° 02' 55.25"
80	सियाल कोटरा	सलूम्बर	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्राम	उ24° 15' 00.23"	पू74° 01' 58.03"
81	तुलछोन का नामला	सलूम्बर	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्राम	उ24° 12' 35.23"	पू73° 59' 41.16"
82	वीरपुरा	सारदा	संरक्षित क्षेत्र में ग्राम	उ24° 13' 49.63"	पू73° 57' 55.09"
83	एन/ए	सारदा	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्राम	उ24° 21' 06.26"	पू73° 48' 20.03"

### की गई कार्वाई की रिपोर्ट का रूप विधान:

1. बैठकों की संख्या और तारीख।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपांध में उपाबद्ध करें।)
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए व्यौहार किए गए मामलों का सारांश (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार)। व्यौरे उपांध के रूप में संलग्न किए जाएं।
5. पर्यावरण समाधात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सारांश। (व्यौरे एक पृथक उपांध के रूप में संलग्न किए जाएं।)
6. पर्यावरण समाधात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश। (व्यौरे एक पृथक उपांध के रूप में संलग्न किए जाएं।)
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।

### MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 6th August, 2020

**S.O. 2631(E).**—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1914(E), dated the 3<sup>rd</sup> June, 2019, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 4<sup>th</sup> June, 2019;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, the Jaisamand Wildlife Sanctuary is situated in Girwa, Sarada and Salumbar Tehsil of Udaipur district in the State of Rajasthan; encompassing a geographical area of 52.342 square kilometres;

AND WHEREAS, the Sanctuary forms an ideal habitat to support a variety of terrestrial as well as aquatic fauna. The majestic Panther constitutes the ecological apex among wild animals, indicating good health of forest eco-system. Comparatively, flat terrain of the Sanctuary than that of surrounding provides an ideal landscape for herbivorous animals to survive and sustain;

AND WHEREAS, the major flora recorded from the sanctuary are *Acacia catechu* (khair), *Acacia leucophloea* (ronjh), *Acacia nilotica* (desi bawalia), *Acacia senegal* (kumta), *Adina cordifolia* (haldu), *Aegle marmelos* (bili), *Ailanthus excelsa* (ardusa, paba), *Alangium salvifolium* (ankol), *Albizzia lebbeck* (black siris), *Albizzia odoratissima* (safed siris), *Albizzia procera* (safed siris), *Annona sequamosa* (sitaphal), *Anogeissus pendula* (dhokda), *Anogeissus latifolia* (dhavda), *Anogeissus sericea* (adrukh, indok), *Anogeissus acuminata* (Dhok), *Azadirachta indica* (neem), *Balanites aegyptica* (hingot), *Bauhenia recemosa* (jhinjha, heetri), *Bombax ceiba* (semal), *Boswellia serrata* (salar), *Butea monosperma* (khakhro), *Cassia fistula* (karmela), *Cassia siamea* (kasid), *Cordia mixa* (gunda, lisoda), *Crataeva religiosa* (varna), *Dalbergia sissoo* (sissoo), *Diospyros melanoxylon* (timru), *Ehretia laevis* (tambolia), *Emblica officinalis* (amlā), *Erythrina suberosa* (dhed khakhro), *Eucalyptus sp.* (nilgiri), *Ficus benghalensis* (vad), *Ficus racemosa* (umara), *Ficus religiosa* (piplo), *Flacourinia montana* (kankan), *Gardenia resinifera* (dikamari),

*Grewia hirsuta* (khan dhaman), *Grewia tenax* (gangeti), *Grewia tiliaefolia* (dhaman), *Grewia villosa* (gangeti), *Holoptelia integrifolia* (kanji), *Hymenodictyon excelsum* (kunio), *Lannea coromandelica* (godla), *Leucaena leucocephala* (subabul), *Limonia acidissima* (kotbadi), *Madhuca indica* (mahudo), *Mangifera indica* (amba), *Melia azaderach* (bakain neem), *Mitragyna parviflora* (kalam), *Moringa oleifera* (sahjana), *Pithecellobium dulce* (kikar), *Pongamia pinnata* (karanj), *Prosopis cineraria* (khijdo), *Prosops juliflora* (vilayati), *Soymida fabrifuga* (royan), *Sterculia urens* (kadaya), *Tamarindus indica* (khatri amli), *Tecomella undulata* (rohida), *Wrightia tinctoria* (dudhi), *Wrightia tomentosa* (dudhi), *Zizyphus mauritiana* (bordi), *Zizphus xylophyrus* (ghat bor), *Adhatoda vesica* (ardusa), *Calotropis gigantea* (akdo), *Calotropis procera* (akdo), *Capparis decidua* (ker), *Capparis sepieria* (kanther), *Cassia auriculata* (awal), *Dendrocolamus strictus* (bans), *Dendrophoe fulcuta* (vahi-hankal), *Dichrostachys cinerea* (goya khair), *Helicteres isora* (marod phali), *Holarrhena antidysenterica* (kadwa), *Jatropha curcas* (ratna jyot), *Jatropha gossypifolia* (chhoti ratan jyot), *Kirganelia reticulata* (kamboi), *Leptadenia pyrotechnica* (khinp), *Mimosa hamata* (aila), *Ricinus communis* (arundo), *Thespesia lampas* (Paras pipal), *Vitex nigundo* (nagod), *Vogelia indica* (chitawal), *Zizyphus glabarata* (bordi), *Zizyphus nummularia* (chanibor), *Abrus precatorius* (ratti), *Ampelocissus latifolia* (khata limbu), *Cardiospermum halicacabum* (kak mardika), *Cissampelos pareira* (pahod bel), *Dioscorea bulbifera* (varahi kand), *Hemidesmus indicus* (Dudhvel), *Ipomoea nil* (Kaladana), *Luffa acutangula* (turia), *Maerua arneria* (hemkand), *Momordica dioica* (kikoda), *Rhynchosia bracteata* (kamal vel), *Trichosanthes bracteata* (Ratrani), *Leucas cephalotes* (kubo jungli), *Lindenbergia indica* (patharchati), *Ocimum canum* (jungli tulsi), *Phyllanthus niruri* (bhoy amli), *Portulacea quadrifida* (zini luni), *Seasmum indicum* (tal), *Solanum surattense* (bhoi ringni), *Tribulus terrestris* (gokharu), *Tridax procumbens* (kali mendhi), *Urginea indica* (jungli piyaj), *Xanthium strumarium* (gokharu), *Aristida adscensionis* (lapdu), *Aristida funiculata* (laso lampdo), *Cynodon dactylon* (dub), *Sorghum vulgare* (baru), *Dendrophoetha fulcata* (vahi hankal), *Actinopterua radiatum* (morpankhi), etc.;

**AND WHEREAS**, the faunal biodiversity of the Sanctuary includes wild boar (*Sus scrofa*), grey musk shrew (*Sunchus murinus*), bat (*Cynopterus sphinx*), panther (*Panthera pardus*), common langur (*Prebytis entellus*), striped hyena (*Hyaena hyaena*), jungle cat (*Felis chaus*), five striped palm squirrel (*Funambulus pennanti*), Indian pangolin (*Manis carassicaudata*), Indian fox (*Vulpes bengalensis*), common mongoose (*Herpestes edwardsi*), ruddy mongoose (*H. smithi*), house rat (*Rattus rattus*), blue bull (*Boselaphus tragocamelus*), Indian hare (*Lepus nigricollis*), Indian porcupine (*Hystrix indica*), chinkara (*Gazella gazella*), jackal (*Canis aureus*), Indian small civet (*Viverricula indica*), toddy cat (*Paradoxurus hermaphroditus*), Indian python (*Python molurus*), john sandboa (*Eryx johni*), common skink (*Mabuya carinata*), cheakered keelback (*Natrix piscator*), house lizard (*Hemidactylus flaviviridis*), starred tortoise (*Geochalone elegans*), garden lizard (*Calotes versicolor*), Indian chamaeleon (*Chamaeleon zeylanicus*), Indian cobra (*Naja naja*), flapshell turtle (*Lissemys punctata*), slender racer (*Coluber gracilis*), katla (*Catla catla*), rohu (*Labeo rohita*), grigal (*Cirrhina mrigal*), mahasir (*Tor tor*), putthi (*Puntius sarana*), sarsi (*Labeo granius*), lanchi (*Wallago attu*), singhara (*Mystus seenghati*), kater (*Mystus cavassius*), sanwal (*Channa manilius*), chaal (*Rasbora damicassicus*), kalot (*Labeo calbasu*), painted francolin (*Francolinus pictus*), grey francolin (*F. pondicerianus*), common quail (*Coturnix coturnix*), barred button quail (*Turnix suscitator*), Indian peafowl (*Pavo cristatus*), northern shoveller (*Anas clypeata*), common pochard (*Tadorina ferruginea*), coppersmith barbet (*M. heamcephala*), Indian grey hornbill (*Ocypteros birostris*), common hoopoe (*Upupa epops*), european roller (*Coracias benghalensis*), green bee-eater (*Merops orientalis*), house swift (*Apus affinis*), paddyfield pipit (*Anthus phalbus*), crested bunting (*Melophus lathami*), etc;

**AND WHEREAS**, the rare, endangered and threatened species of the Jaisamand Wildlife Sanctuary are *Sterculia urens* (kadaya), *Anogeissus sericea* (indrok), black-lored tit (*Parus xanthogenys*), Indian vulture (*Gyps indicus*), white-rumped vulture (*Gyps bengalensis*), etc;

**AND WHEREAS**, within the limits of Jaisamand Wildlife Sanctuary are two big palaces namely “Hawa Mahal” which is being used as summer resort and “Roothi Rani Palace” used to admire the scenic beauty of the area and magnificent Jaisamand Lake by the rulers. These historical monuments which are the live examples of art and sculpture, attracts number of visitors now a days to appreciate scenic beauty of Aravallis and world famous Jaisamand Lake. Besides these Palaces, four shooting boxes commonly known as “Ohdis” were constructed around the sanctuary to facilitate hunting and to overview the lush green forest cover of Aravallis. Nowadays these “Ohdis” are used to watch the wild animals from close quarters. The sanctuary is also a part of catchments of Lake Jaisamand, which in turn acts as a life line for the city of Udaipur, since it is the main source of drinking water to inhabitants of the city apart from its aesthetic

beauty. This lake provides excellent scope for nature camping, tracking, bird watching and water sports apart from improving floral and faunal diversity. Jaisamand Wildlife Sanctuary, being in close vicinity of Udaipur city, acts as centre for education to local children, youth and tourists on one hand while on the other is a unique example of habitat revival and restoration of past floral and faunal glory, including panthers, hyenas, jackals, hares and variety of reptiles and birds. It is now centre for breeding of indigenous, rare and endangered fauna of Aravallis and it also acting as corridor for wild animals of this region;

**AND WHEREAS**, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Jaisamand Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

**NOW, THEREFORE**, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 1.60 kilometres to 8.90 kilometres around the boundary of Jaisamand Wildlife Sanctuary, in Udaipur districts in the State of Rajasthan as the Jaisamand Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

- 1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.** – (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 1.60 kilometres to 8.90 kilometres around the boundary of Jaisamand Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is 220.118 square kilometres.  
 (2) The boundary description of Jaisamand Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-I**.  
 (3) The maps of the Jaisamand Wildlife Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA**, **Annexure-IIB**, **Annexure-IIC** and **Annexure-IID**.  
 (4) Lists of geo-coordinates of the boundary of Jaisamand Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table A and Table B of **Annexure-III**.  
 (5) The list of villages falling in the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV**.
- 2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.**– (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority of State.  
 (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.  
 (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-
  - (i) Environment;
  - (ii) Forest and Wildlife;
  - (iii) Agriculture;
  - (iv) Revenue;
  - (v) Urban Development;
  - (vi) Tourism;
  - (vii) Rural Development;
  - (viii) Irrigation and Flood Control;
  - (ix) Municipal;

- (x) Panchayati Raj; and
  - (xi) Public Works Department.
- (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.
- (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.
- (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
- (9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

**3. Measures to be taken by the State Government.**— The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

- (1) **Land use.**— (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the Central Government or the State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) promoted activities given under paragraph 4;

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

- (b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.
- (2) **Natural water bodies.**-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.
- (3) **Tourism or Eco-tourism.**- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.
- (b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.
- (c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
- (d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.
- (e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-
- (i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:
- Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;
- (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;
- (iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.
- (4) **Natural heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites.**- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.** - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.
- (7) **Air pollution.**- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (8) **Discharge of effluents.**- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by the State Government whichever is more stringent.

**(9) Solid wastes.**— Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

- (a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8<sup>th</sup> April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;
- (b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

**(10) Bio-Medical Waste.**— Bio Medical Waste Management shall be as under:-

- (a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28<sup>th</sup> March, 2016.
- (b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

**(11) Plastic waste management.**— The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18<sup>th</sup> March, 2016, as amended from time to time.

**(12) Construction and demolition waste management.**— The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29<sup>th</sup> March, 2016, as amended from time to time.

**(13) E-waste.**— The e-waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

**(14) Vehicular traffic.**— The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master Plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

**(15) Vehicular pollution.**— Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

**(16) Industrial units.**— (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

- (ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

**(17) Protection of hill slopes.**— The protection of hill slopes shall be as under:-

- (a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;
- (b) construction shall not be permitted on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion.

- 4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made thereunder including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

**TABLE**

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
<b>A. Prohibited Activities</b>		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities;  The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 <sup>th</sup> August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21 <sup>st</sup> April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted:  Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
<b>B. Regulated Activities</b>		
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities:

		Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Construction activities.	<p>New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or up to extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:</p> <p>Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents.</p> <p>Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.</p> <p>Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.</p>
10.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
11.	Felling of trees.	<p>There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government.</p> <p>The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.</p>
12.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
13.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
14.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
15.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
16.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
17.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.

18.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
19.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
20.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except as otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
21.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
22.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
23.	Open well, bore well, etc. for agriculture or other usage.	Regulated under applicable laws and the activity shall be strictly monitored by the concerned authority.
24.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.

### C. Promoted Activities

29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light, etc. shall be actively promoted.
34.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
36.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
37.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
38.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
39.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

**5. Monitoring Committee for monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.**— For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S N	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
1.	District Collector, Udaipur	Chairman, ex officio;
2.	District Level Officer of the Public Works Department, Udaipur	Member;
3.	District Level Officer of the Irrigation Department, Udaipur	Member;
4.	District Level Officer of the Mining Department, Udaipur	Member;
5.	District Level Officer of the Police Department, Udaipur	Member;
6.	District Level Officer of the Industry Department, Udaipur	Member;
7.	District Level Officer of the Fisheries Department, Udaipur	Member;
8.	Regional Officer of the State Pollution Control Board, Udaipur	Member;
9.	Sub-Divisional Officer, Sarada, Udaipur	Member;
10.	Sub-Divisional Officer, Salumbar, Udaipur	Member;
11.	Sub-Divisional Officer, Girwa, Udaipur	Member;
12.	A representative of Non-governmental Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by the State Government	Member;
13.	One expert in Ecology from reputed institution or university of the State	Member;
14.	Deputy Conservator of Forests, Udaipur	Member;
15.	Deputy Conservator of Forests, Wildlife, Udaipur	Member-Secretary.

**6. Terms of reference.**— (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

- (2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31<sup>st</sup> March of every year by the 30<sup>th</sup> June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended as **Annexure-V**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

**7.** The Central Government and the State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

**8.** The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/10/2015-ESZ-RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

#### ANNEXURE- I


#### **BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE JAISAMAND WILDLIFE SANCTUARY, RAJASTHAN**

Direction	From point No.	Till point No.	Description of Point number
North direction	E01	E02	From Bagurawa Auda road to Mall Magri tri-junction (crematorium and anket) at point No. E01 is situated. Proceed on the road towards village Bagurwa.
	E02	E05	From village Bagurawa to village Ajbra road on Mamadev temple road to trijunction (opposite Hanuman temple of village Bagurava and Bawdi), point No. E02 is situated. Proceed on the road towards village Ajbara.
	E05	E08	Basot trijunction by village Bagurawa to village Ajbra road (near the area of population of Vanda Kheta Fala and well near Baba Chautra) point No. E05 is situated. Proceed on the raw road towards village Basot.
	E08	E13	On the path going from ghostly pond trijunction towards Voh Magra Point No. E08 is situated.
	E13	E14	On the diversion from the populated area of village Runija to village Vasu and Jagat road, the point No. E13 is situated. Proceed on the road towards the village Jagat.
	E14	E17	From Runeja to Jagat road on the raw road going towards village Adwas (trijunction) point No. E14 is situated. The forest block proceeded along the border of Sonigara Magra as well as on the way to Bhalawat Basti.
	E17	E18	On the paved road at Bhariya trijunction on Jagad to Adwas road point No. E17 is situated.
	E18	E24	From Jagat to Adwas Road to Om Nagari Temple road trijunction at point No. E18 is situated.

	E24	E26	Near mobile tower on trijunction, on the way from village Javad to Naijhar road to Sarpanch Niwas point No. E24 is situated.  Proceeded on the road towards village Naijhar.
	E26	E28	The road from village Javad to Naijhar road to village Bailwadi, point No. E26 is situated.  Proceeded on the road towards village Naijhar.
	E28	E30	The route from village Javad to Naijhar road to Jaisamand lake (13 km), point No. E28 is situated.  Proceeded on the road towards village Naijhar.
	E30	E33	Village Naijhar to Gingla Road, Village Nayakua, Way of Meduda (Baba Ramdev Temple) Near trijunction Point No. E30 is situated.  Proceed on the road towards village Gingla.
	E33	E35	Village Naijhar to Gingla road to Semal road near trijunction point No. E33 is situated.
	E35	E36	Crossroad Gingla to Semal Road and Devla pond to Bhairauji Bavji Road, where Devnarayan's temple is located. Near the crossroad Point No.E35 is situated.
	E36	E40	Raw road from Gingla to Semal road to Mitodi Bhil Basti towards Kalakhet, point No. E36 is situated.
	E40	E42	Moving out the population area of Gingla village, proceed from the back side of the village.
	E42	E43	The road of village Dhulji coming from Jhamri river of Gigala village on Gurdha to Saradi road, point No. E42 is situated.
	E43	E44	Village Dhulji's Gurda on Gomti river bridge to Saradi road point No. E43 is situated.
East direction	E44	E47	Village Saradi near Banyan of Eklavya Nagar point No. E44 is situated.
	E47	E51	On the road in front of Anganwadi center of village Sichhavali point No.E47 is situated. He proceeded towards south in front.
	E51	E53	On Kherad Road trijunction on Karvali Road from village Makad border Point No. E51 is situated.
	E53	E55	On the valley main road crossroad (Jaisamand, Nahapura, Ghati, Macadseema) point No. E53 is situated.
	E55	E57	Near Gamda trijunction Daulapura School (Salumbar Road 9 km) from Kherad on Karvali Road to point No. E55 is situated.
	E57	E60	On Chiboda trijunction (Kherad to Karvali Road) point No. E57 is situated.
	E60	E66	From Salumbar to Jaisamand road near canal to point


			No. E60 is situated. Along the canal the village proceeded towards Gandhinagar.
South direction	E66	E68	On the canal and road crossing of village Gandhinagar point No. E66 is situated. Proceed along the road to village Kantoda.
	E68	E71	On the trijunction (Butavala, Kantoda, Gandhipura) of village Kantoda point No. <b>E68</b> is situated.
	E71	E74	On trijunction (Jaisamand to Jhadol Road) of village Butwas point No. <b>E71</b> is situated.
	E74	E76	The crossroad of village Pahari (Shyampura, Pahari Khurd, Jaisamand and Jhadol Road) point No. <b>E74</b> is situated. Proceed along the road of village Jhadol.
	E76	E77	The village proceeded along the road from Jhadol to Batuka.
	E77	E82	From the Dharmatlai area of village Jhadol near the water tank at Padrafa crossing on the road from Batuka to point No. <b>E77</b> is situated.
	E82	E87	Village Dhani Melana to Kala Pyra Road railway crossing, near railway underbridge No. E82 is situated. Proceed in the north-west direction along the rail tracks.
	E87	E89	Village Dhavadia to Kathila Road railway crossing, near railway underbridge point No. E87 is situated. Proceed on Village Dhavadia Road.
West direction	E89	E91	Near Dhavadia crossroad (Dhavadia, Dingadi Falla, Devpura, Palodada) point No. E89 is situated. Proceeded to Dingadi Falla road.
	E91	E96	<b>1</b> km east of village Dingadi Falla point No. E91 is situated.
	E96	E100	At Village Raila Tiraha (Rella, Dingadi Falla, Padla Road) point No. E96 is situated. Proceed along the road to Devla bus station.
	E100	E104	Devla bus station at trijunction Jaisamand-Udaipur road at point No. E100 is situated. Proceed along the road towards Udaipur.
	E104	E01	At In front of Bhimraj Kalal's house and shop in village Auda on Jaisamand-Udaipur road point No. E104 is situated. Along with the river coming from the hills of forest block Palodda will arrive at point No. E01.

## ANNEXURE- II A

**LOCATION MAP OF JAISAMAND WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE  
ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS**



## **ANNEXURE- IIB**

## **GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF JAISAMAND WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS**




## **ANNEXURE- IIC**

**SETTELITE IMAGE OF ECO-SENSITIVE ZONE OF JAISAMAND WILDLIFE SANCTUARY  
ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF  
INDIA (SOI) TOPOSHEET**



## ANNEXURE- IID

**MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF JAISAMAND WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS**


**ANNEXURE-III****TABLE A: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF JAISAMAND WILDLIFE SANCTUARY, RAJASTHAN**

<b>S. No.</b>	<b>Point code</b>	<b>latitude</b>	<b>longitude</b>
1	J-001	N24° 18' 04.70"	E73° 50' 31.5"
2	J-002	N24° 18' 02.30"	E73° 50' 32.10"
3	J-003	N24° 17' 59.34"	E73° 50' 32.69"
4	J-004	N24° 17' 56.78"	E73° 50' 32.98"
5	J-005	N24° 17' 54.18"	E73° 50' 33.33"
6	J-006	N24° 17' 53.76"	E73° 50' 33.46"
7	J-007	N24° 17' 52.95"	E73° 50' 34.32"
8	J-008	N24° 17' 52.28"	E73° 50' 35.11"
9	J-009	N24° 17' 51.25"	E73° 50' 35.96"
10	J-010	N24° 17' 50.12"	E73° 50' 36.81"
11	J-011	N24° 17' 49.18"	E73° 50' 37.56"
12	J-012	N24° 17' 48.30"	E73° 50' 38.27"
13	J-013	N24° 17' 47.49"	E73° 50' 38.94"
14	J-014	N24° 17' 45.70"	E73° 50' 40.85"
15	J-015	N24° 17' 44.54"	E73° 50' 42.21"
16	J-016	N24° 17' 43.73"	E73° 50' 42.94"
17	J-017	N24° 17' 42.92"	E73° 50' 44.05"
18	J-018	N24° 17' 41.64"	E73° 50' 45.63"
19	J-019	N24° 17' 39.99"	E73° 50' 46.69"
20	J-020	N24° 17' 39.22"	E73° 50' 47.56"
21	J-021	N24° 17' 38.53"	E73° 50' 48.24"
22	J-022	N24° 17' 37.50"	E73° 50' 49.77"
23	J-023	N24° 17' 35.43"	E73° 50' 51.34"
24	J-024	N24° 17' 32.84"	E73° 50' 52.71"
25	J-025	N24° 17' 32.21"	E73° 50' 53.20"
26	J-026	N24° 17' 28.91"	E73° 50' 53.67"
27	J-027	N24° 17' 28.60"	E73° 50' 53.7"
28	J-028	N24° 17' 27.52"	E73° 50' 53.39"
29	J-029	N24° 17' 25.19"	E73° 50' 52.55"
30	J-030	N24° 17' 24.27"	E73° 50' 52.29"
31	J-031	N24° 17' 22.65"	E73° 50' 54.41"
32	J-032	N24° 17' 22.13"	E73° 50' 55.14"
33	J-033	N24° 17' 20.98"	E73° 50' 56.70"
34	J-034	N24° 17' 19.31"	E73° 50' 58.99"
35	J-035	N24° 17' 17.54"	E73° 51' 01.33"
36	J-036	N24° 17' 16.17"	E73° 51' 2.91"
37	J-037	N24° 17' 15.46"	E73° 51' 3.61"

38	J-038	N24° 17' 14.23"	E73° 51' 4.74"
39	J-039	N24° 17' 13.00"	E73° 51' 5.71"
40	J-040	N24° 17' 11.73"	E73° 51' 6.72"
41	J-041	N24° 17' 10.04"	E73° 51' 8.34"
42	J-042	N24° 17' 08.59"	E73° 51' 9.68"
43	J-043	N24° 17' 06.69"	E73° 51' 11.73"
44	J-044	N24° 17' 05.83"	E73° 51' 12.75"
45	J-045	N24° 17' 04.79"	E73° 51' 14.25"
46	J-046	N24° 17' 03.84"	E73° 51' 15.71"
47	J-047	N24° 17' 01.80"	E73° 51' 17.99"
48	J-048	N24° 16' 59.65"	E73° 51' 19.81"
49	J-049	N24° 16' 55.40"	E73° 51' 22.43"
50	J-050	N24° 16' 53.32"	E73° 51' 23.75"
51	J-051	N24° 16' 50.95"	E73° 51' 25.51"
52	J-052	N24° 16' 48.63"	E73° 51' 27.63"
53	J-053	N24° 16' 45.80"	E73° 51' 30.36"
54	J-054	N24° 16' 42.85"	E73° 51' 32.99"
55	J-055	N24° 16' 41.75"	E73° 51' 34.08"
56	J-056	N24° 16' 40.90"	E73° 51' 35.19"
57	J-057	N24° 16' 38.76"	E73° 51' 39.10"
58	J-058	N24° 16' 43.82"	E73° 51' 43.61"
59	J-059	N24° 16' 44.95"	E73° 51' 44.58"
60	J-060	N24° 16' 40.87"	E73° 51' 50.08"
61	J-061	N24° 16' 40.51"	E73° 51' 50.40"
62	J-062	N24° 16' 38.92"	E73° 51' 52.15"
63	J-063	N24° 16' 37.59"	E73° 51' 59.72"
64	J-064	N24° 16' 35.65"	E73° 52' 01.13"
65	J-065	N24° 16' 29.91"	E73° 52' 5.55"
66	J-066	N24° 16' 25.25"	E73° 52' 3.56"
67	J-067	N24° 16' 23.00"	E73° 52' 6.67"
68	J-068	N24° 16' 21.01"	E73° 52' 9.16"
69	J-069	N24° 16' 18.57"	E73° 52' 12.60"
70	J-070	N24° 16' 16.56"	E73° 52' 16.40"
71	J-071	N24° 16' 15.66"	E73° 52' 17.59"
72	J-072	N24° 16' 14.07"	E73° 52' 18.84"
73	J-073	N24° 16' 11.93"	E73° 52' 20.05"
74	J-074	N24° 16' 10.46"	E73° 52' 21.00"
75	J-075	N24° 16' 8.87"	E73° 52' 22.72"
76	J-076	N24° 16' 7.49"	E73° 52' 24.96"
77	J-077	N24° 16' 6.45"	E73° 52' 26.71"

78	J-078	N24° 16' 5.15"	E73° 52' 28.98"
79	J-079	N24° 16' 4.04"	E73° 52' 31.07"
80	J-080	N24° 16' 3.43"	E73° 52' 32.52"
81	J-081	N24° 16' 2.67"	E73° 52' 34.42"
82	J-082	N24° 16' 1.32"	E73° 52' 37.74"
83	J-083	N24° 16' 0.69"	E73° 52' 39.31"
84	J-084	N24° 16' 0.07"	E73° 52' 40.73"
85	J-085	N24° 15' 59.62"	E73° 52' 41.90"
86	J-086	N24° 15' 58.78"	E73° 52' 44.29"
87	J-087	N24° 15' 58.14"	E73° 52' 45.38"
88	J-088	N24° 15' 57.29"	E73° 52' 46.65"
89	J-089	N24° 15' 56.01"	E73° 52' 48.63"
90	J-090	N24° 15' 55.17"	E73° 52' 50.20"
91	J-091	N24° 15' 54.30"	E73° 52' 52.06"
92	J-092	N24° 15' 53.42"	E73° 52' 53.90"
93	J-093	N24° 15' 52.55"	E73° 52' 55.90"
94	J-094	N24° 15' 51.80"	E73° 52' 57.58"
95	J-095	N24° 15' 50.72"	E73° 52' 59.97"
96	J-096	N24° 15' 49.71"	E73° 53' 1.31"
97	J-097	N24° 15' 48.16"	E73° 53' 2.88"
98	J-098	N24° 15' 46.44"	E73° 53' 4.58"
99	J-099	N24° 15' 45.48"	E73° 53' 5.73"
100	J-100	N24° 15' 44.71"	E73° 53' 6.83"
101	J-101	N24° 15' 44.13"	E73° 53' 7.77"
102	J-102	N24° 15' 43.31"	E73° 53' 9.46"
103	J-103	N24° 15' 42.39"	E73° 53' 11.91"
104	J-104	N24° 15' 41.74"	E73° 53' 14.02"
105	J-105	N24° 15' 40.83"	E73° 53' 16.55"
106	J-106	N24° 15' 39.56"	E73° 53' 18.74"
107	J-107	N24° 15' 38.98"	E73° 53' 19.59"
108	J-108	N24° 15' 38.26"	E73° 53' 21.08"
109	J-109	N24° 15' 37.83"	E73° 53' 22.54"
110	J-110	N24° 15' 37.49"	E73° 53' 24.61"
111	J-111	N24° 15' 37.40"	E73° 53' 26.51"
112	J-112	N24° 15' 37.11"	E73° 53' 28.77"
113	J-113	N24° 15' 36.71"	E73° 53' 30.95"
114	J-114	N24° 15' 36.71"	E73° 53' 33.38"
115	J-115	N24° 15' 37.41"	E73° 53' 35.18"
116	J-116	N24° 15' 38.49"	E73° 53' 36.27"
117	J-117	N24° 15' 39.92"	E73° 53' 38.12"

118	J-118	N24° 15' 40.97"	E73° 53' 38.41"
119	J-119	N24° 15' 44.60"	E73° 53' 36.92"
120	J-120	N24° 15' 45.80"	E73° 53' 39.66"
121	J-121	N24° 15' 45.76"	E73° 53' 41.92"
122	J-122	N24° 15' 44.33"	E73° 53' 45.91"
123	J-123	N24° 15' 42.59"	E73° 53' 46.43"
124	J-124	N24° 15' 39.82"	E73° 53' 46.51"
125	J-125	N24° 15' 39.25"	E73° 53' 46.27"
126	J-126	N24° 15' 35.39"	E73° 53' 42.21"
127	J-127	N24° 15' 34.36"	E73° 53' 50.50"
128	J-128	N24° 15' 35.19"	E73° 53' 53.44"
129	J-129	N24° 15' 35.60"	E73° 53' 55.91"
130	J-130	N24° 15' 35.98"	E73° 53' 59.16"
131	J-131	N24° 15' 35.01"	E73° 54' 3.53"
132	J-132	N24° 15' 33.80"	E73° 54' 7.93"
133	J-133	N24° 15' 33.09"	E73° 54' 10.62"
134	J-134	N24° 15' 31.68"	E73° 54' 13.69"
135	J-135	N24° 15' 30.18"	E73° 54' 16.83"
136	J-136	N24° 15' 28.64"	E73° 54' 19.83"
137	J-137	N24° 15' 26.83"	E73° 54' 23.37"
138	J-138	N24° 15' 26.38"	E73° 54' 24.90"
139	J-139	N24° 15' 26.66"	E73° 54' 28.22"
140	J-140	N24° 15' 26.89"	E73° 54' 31.24"
141	J-141	N24° 15' 26.54"	E73° 54' 34.05"
142	J-142	N24° 15' 25.88"	E73° 54' 38.45"
143	J-143	N24° 15' 24.71"	E73° 54' 42.42"
144	J-144	N24° 15' 23.48"	E73° 54' 45.96"
145	J-145	N24° 15' 22.29"	E73° 54' 49.76"
146	J-146	N24° 15' 21.09"	E73° 54' 54.02"
147	J-147	N24° 15' 19.59"	E73° 54' 58.19"
148	J-148	N24° 15' 18.36"	E73° 55' 1.90"
149	J-149	N24° 15' 17.27"	E73° 55' 5.41"
150	J-150	N24° 15' 16.15"	E73° 55' 9.14"
151	J-151	N24° 15' 14.97"	E73° 55' 13.03"
152	J-152	N24° 15' 13.45"	E73° 55' 17.75"
153	J-153	N24° 15' 12.25"	E73° 55' 21.58"
154	J-154	N24° 15' 10.97"	E73° 55' 25.77"
155	J-155	N24° 15' 9.73"	E73° 55' 29.18"
156	J-156	N24° 15' 8.65"	E73° 55' 32.22"
157	J-157	N24° 15' 7.42"	E73° 55' 35.97"

158	J-158	N24° 15' 6.49"	E73° 55' 39.38"
159	J-159	N24° 15' 5.66"	E73° 55' 42.85"
160	J-160	N24° 15' 4.96"	E73° 55' 45.65"
161	J-161	N24° 15' 4.39"	E73° 55' 47.45"
162	J-162	N24° 15' 3.58"	E73° 55' 49.75"
163	J-163	N24° 15' 3.40"	E73° 55' 52.84"
164	J-164	N24° 15' 3.43"	E73° 55' 55.99"
165	J-165	N24° 15' 3.27"	E73° 55' 58.26"
166	J-166	N24° 15' 2.91"	E73° 55' 59.94"
167	J-167	N24° 15' 1.99"	E73° 56' 1.84"
168	J-168	N24° 15' 0.91"	E73° 56' 4.10"
169	J-169	N24° 14' 59.48"	E73° 56' 8.27"
170	J-170	N24° 14' 58.91"	E73° 56' 10.55"
171	J-171	N24° 14' 58.38"	E73° 56' 12.43"
172	J-172	N24° 14' 57.79"	E73° 56' 13.76"
173	J-173	N24° 14' 56.67"	E73° 56' 15.52"
174	J-174	N24° 14' 55.39"	E73° 56' 17.60"
175	J-175	N24° 14' 53.95"	E73° 56' 20.17"
176	J-176	N24° 14' 51.42"	E73° 56' 23.97"
177	J-177	N24° 14' 49.78"	E73° 56' 27.87"
178	J-178	N24° 14' 48.11"	E73° 56' 32.51"
179	J-179	N24° 14' 47.15"	E73° 56' 36.05"
180	J-180	N24° 14' 46.37"	E73° 56' 38.52"
181	J-181	N24° 14' 45.70"	E73° 56' 39.63"
182	J-182	N24° 14' 43.87"	E73° 56' 41.51"
183	J-183	N24° 14' 41.39"	E73° 56' 43.86"
184	J-184	N24° 14' 38.68"	E73° 56' 46.54"
185	J-185	N24° 14' 36.20"	E73° 56' 49.00"
186	J-186	N24° 14' 34.65"	E73° 56' 50.73"
187	J-187	N24° 14' 33.07"	E73° 56' 52.74"
188	J-188	N24° 14' 31.29"	E73° 56' 55.02"
189	J-189	N24° 14' 29.52"	E73° 56' 57.51"
190	J-190	N24° 14' 28.78"	E73° 56' 58.39"
191	J-191	N24° 14' 27.69"	E73° 56' 59.07"
192	J-192	N24° 14' 23.67"	E73° 57' 0.24"
193	J-193	N24° 14' 20.92"	E73° 57' 1.03"
194	J-194	N24° 14' 19.66"	E73° 57' 1.44"
195	J-195	N24° 14' 16.95"	E73° 57' 2.68"
196	J-196	N24° 14' 14.60"	E73° 57' 4.59"
197	J-197	N24° 14' 11.92"	E73° 57' 6.69"

198	J-198	N24° 14' 8.74"	E73° 57' 9.01"
199	J-199	N24° 14' 5.69"	E73° 57' 11.17"
200	J-200	N24° 14' 2.05"	E73° 57' 13.91"
201	J-201	N24° 14' 0.13"	E73° 57' 16.30"
202	J-202	N24° 13' 57.74"	E73° 57' 19.12"
203	J-203	N24° 13' 55.66"	E73° 57' 21.58"
204	J-204	N24° 13' 53.39"	E73° 57' 23.88"
205	J-205	N24° 13' 51.44"	E73° 57' 25.93"
206	J-206	N24° 13' 49.11"	E73° 57' 28.24"
207	J-207	N24° 13' 47.29"	E73° 57' 29.99"
208	J-208	N24° 13' 45.57"	E73° 57' 31.87"
209	J-209	N24° 13' 43.78"	E73° 57' 34.01"
210	J-210	N24° 13' 42.11"	E73° 57' 36.45"
211	J-211	N24° 13' 40.38"	E73° 57' 38.93"
212	J-212	N24° 13' 38.12"	E73° 57' 42.14"
213	J-213	N24° 13' 36.07"	E73° 57' 45.03"
214	J-214	N24° 13' 33.69"	E73° 57' 48.36"
215	J-215	N24° 13' 31.75"	E73° 57' 50.98"
216	J-216	N24° 13' 29.84"	E73° 57' 53.32"
217	J-217	N24° 13' 28.21"	E73° 57' 55.43"
218	J-218	N24° 13' 27.63"	E73° 57' 56.60"
219	J-219	N24° 13' 27.36"	E73° 57' 58.66"
220	J-220	N24° 13' 27.40"	E73° 58' 1.41"
221	J-221	N24° 13' 27.39"	E73° 58' 5.69"
222	J-222	N24° 13' 27.26"	E73° 58' 8.96"
223	J-223	N24° 13' 26.79"	E73° 58' 10.73"
224	J-224	N24° 13' 25.46"	E73° 58' 13.73"
225	J-225	N24° 13' 23.80"	E73° 58' 17.26"
226	J-226	N24° 13' 22.49"	E73° 58' 18.73"
227	J-227	N24° 13' 20.71"	E73° 58' 20.47"
228	J-228	N24° 13' 17.64"	E73° 58' 23.37"
229	J-229	N24° 13' 15.69"	E73° 58' 24.90"
230	J-230	N24° 13' 14.09"	E73° 58' 26.34"
231	J-231	N24° 13' 11.34"	E73° 58' 28.85"
232	J-232	N24° 13' 7.91"	E73° 58' 32.42"
233	J-233	N24° 13' 4.55"	E73° 58' 36.40"
234	J-234	N24° 13' 1.52"	E73° 58' 39.87"
235	J-235	N24° 12' 58.98"	E73° 58' 43.05"
236	J-236	N24° 12' 56.64"	E73° 58' 45.96"
237	J-237	N24° 12' 55.37"	E73° 58' 47.51"

238	J-238	N24° 12' 52.84"	E73° 58' 49.84"
239	J-239	N24° 12' 53.41"	E73° 58' 52.22"
240	J-240	N24° 12' 52.03"	E73° 58' 54.29"
241	J-241	N24° 12' 52.07"	E73° 58' 56.23"
242	J-242	N24° 12' 52.70"	E73° 58' 57.71"
243	J-243	N24° 12' 54.51"	E73° 58' 59.90"
244	J-244	N24° 12' 55.44"	E73° 59' 2.03"
245	J-245	N24° 12' 55.69"	E73° 59' 3.22"
246	J-246	N24° 12' 56.19"	E73° 59' 3.63"
247	J-247	N24° 12' 57.74"	E73° 59' 8.38"
248	J-248	N24° 12' 56.60"	E73° 59' 6.11"
249	J-249	N24° 12' 59.42"	E73° 59' 10.75"
250	J-250	N24° 13' 0.66"	E73° 59' 12.18"
251	J-251	N24° 13' 1.14"	E73° 59' 13.12"
252	J-252	N24° 13' 02.05"	E73° 59' 13.36"
253	J-253	N24° 13' 04.16"	E73° 59' 14.36"
254	J-254	N24° 13' 6.00"	E73° 59' 14.69"
255	J-255	N24° 13' 8.09"	E73° 59' 14.50"
256	J-256	N24° 13' 10.43"	E73° 59' 14.25"
257	J-257	N24° 13' 11.99"	E73° 59' 14.38"
258	J-258	N24° 13' 14.37"	E73° 59' 15.83"
259	J-259	N24° 13' 15.75"	E73° 59' 16.49"
260	J-260	N24° 13' 16.45"	E73° 59' 16.54"
261	J-261	N24° 13' 17.00"	E73° 59' 16.85"
262	J-262	N24° 13' 19.25"	E73° 59' 17.58"
263	J-263	N24° 13' 20.29"	E73° 59' 17.87"
264	J-264	N24° 13' 21.27"	E73° 59' 18.08"
265	J-265	N24° 13' 22.79"	E73° 59' 18.56"
266	J-266	N24° 13' 23.87"	E73° 59' 18.16"
267	J-267	N24° 13' 24.53"	E73° 59' 17.67"
268	J-268	N24° 13' 24.96"	E73° 59' 16.81"
269	J-269	N24° 13' 25.08"	E73° 59' 16.12"
270	J-270	N24° 13' 25.31"	E73° 59' 15.56"
271	J-271	N24° 13' 25.93"	E73° 59' 15.11"
272	J-272	N24° 13' 26.35"	E73° 59' 14.27"
273	J-273	N24° 13' 27.20"	E73° 59' 13.90"
274	J-274	N24° 13' 27.94"	E73° 59' 13.61"
275	J-275	N24° 13' 28.63"	E73° 59' 13.58"
276	J-276	N24° 13' 29.00"	E73° 59' 13.50"
277	J-277	N24° 13' 29.40"	E73° 59' 13.04"

278	J-278	N24° 13' 29.85"	E73° 59' 12.84"
279	J-279	N24° 13' 30.81"	E73° 59' 12.31"
280	J-280	N24° 13' 31.19"	E73° 59' 11.69"
281	J-281	N24° 13' 31.49"	E73° 59' 10.78"
282	J-282	N24° 13' 31.53"	E73° 59' 10.39"
283	J-283	N24° 13' 31.91"	E73° 59' 9.54"
284	J-284	N24° 13' 32.99"	E73° 59' 8.80"
285	J-285	N24° 13' 33.75"	E73° 59' 7.52"
286	J-286	N24° 13' 34.50"	E73° 59' 7.07"
287	J-287	N24° 13' 34.68"	E73° 59' 6.56"
288	J-288	N24° 13' 35.31"	E73° 59' 5.66"
289	J-289	N24° 13' 35.60"	E73° 59' 5.49"
290	J-290	N24° 13' 35.97"	E73° 59' 4.52"
291	J-291	N24° 13' 37.96"	E73° 59' 03.23"
292	J-292	N24° 13' 46.77"	E73° 58' 57.16"
293	J-293	N24° 13' 53.54"	E73° 58' 52.33"
294	J-294	N24° 13' 56.30"	E73° 58' 49.20"
295	J-295	N24° 13' 58.50"	E73° 58' 45.89"
296	J-296	N24° 14' 00.69"	E73° 58' 45.63"
297	J-297	N24° 14' 3.68"	E73° 58' 43.19"
298	J-298	N24° 14' 5.89"	E73° 58' 41.21"
299	J-299	N24° 14' 06.22"	E73° 58' 38.08"
300	J-300	N24° 14' 6.33"	E73° 58' 37.17"
301	J-301	N24° 14' 6.87"	E73° 58' 37.05"
302	J-302	N24° 14' 8.99"	E73° 58' 39.91"
303	J-303	N24° 14' 14.02"	E73° 58' 38.55"
304	J-304	N24° 14' 16.95"	E73° 58' 36.38"
305	J-305	N24° 14' 15.32"	E73° 58' 36.20"
306	J-306	N24° 14' 15.81"	E73° 58' 33.31"
307	J-307	N24° 14' 16.08"	E73° 58' 30.71"
308	J-308	N24° 14' 17.56"	E73° 58' 29.56"
309	J-309	N24° 14' 20.39"	E73° 58' 27.59"
310	J-310	N24° 14' 22.40"	E73° 58' 24.68"
311	J-311	N24° 14' 22.67"	E73° 58' 22.96"
312	J-312	N24° 14' 23.59"	E73° 58' 21.94"
313	J-313	N24° 14' 31.15"	E73° 58' 23.23"
314	J-314	N24° 14' 34.95"	E73° 58' 17.16"
315	J-315	N24° 14' 31.23"	E73° 58' 16.44"
316	J-316	N24° 14' 38.00"	E73° 58' 14.48"
317	J-317	N24° 14' 53.28"	E73° 58' 02.83"

318	J-318	N24° 14' 55.83"	E73° 57' 59.09"
319	J-319	N24° 14' 41.05"	E73° 58' 05.73"
320	J-320	N24° 14' 40.55"	E73° 58' 07.00"
321	J-321	N24° 14' 38.32"	E73° 58' 05.46"
322	J-322	N24° 14' 34.10"	E73° 58' 04.69"
323	J-323	N24° 14' 37.23"	E73° 58' 00.29"
324	J-324	N24° 14' 39.33"	E73° 57' 58.98"
325	J-325	N24° 14' 41.14"	E73° 57' 56.33"
326	J-326	N24° 14' 39.79"	E73° 57' 54.93"
327	J-327	N24° 14' 47.99"	E73° 57' 47.14"
328	J-328	N24° 14' 55.11"	E73° 57' 36.00"
329	J-329	N24° 14' 46.01"	E73° 57' 34.03"
330	J-330	N24° 14' 37.72"	E73° 57' 34.09"
331	J-331	N24° 14' 36.62"	E73° 57' 23.93"
332	J-332	N24° 14' 30.66"	E73° 57' 24.71"
333	J-333	N24° 14' 24.35"	E73° 57' 27.37"
334	J-334	N24° 14' 19.71"	E73° 57' 28.41"
335	J-335	N24° 14' 26.17"	E73° 57' 21.15"
336	J-336	N24° 14' 15.35"	E73° 57' 24.40"
337	J-337	N24° 14' 19.75"	E73° 57' 20.13"
338	J-338	N24° 14' 23.74"	E73° 57' 15.16"
339	J-339	N24° 14' 31.82"	E73° 57' 05.70"
340	J-340	N24° 14' 34.49"	E73° 57' 01.87"
341	J-341	N24° 14' 36.33"	E73° 57' 00.79"
342	J-342	N24° 14' 35.60"	E73° 57' 08.85"
343	J-343	N24° 14' 35.81"	E73° 57' 09.57"
344	J-344	N24° 14' 38.71"	E73° 57' 09.48"
345	J-345	N24° 14' 41.81"	E73° 57' 08.50"
346	J-346	N24° 14' 44.37"	E73° 57' 08.10"
347	J-347	N24° 14' 45.67"	E73° 57' 08.29"
348	J-348	N24° 14' 45.91"	E73° 57' 09.05"
349	J-349	N24° 14' 44.14"	E73° 57' 10.73"
350	J-350	N24° 14' 41.93"	E73° 57' 11.40"
351	J-351	N24° 14' 40.19"	E73° 57' 13.91"
352	J-352	N24° 14' 42.93"	E73° 57' 15.42"
353	J-353	N24° 14' 45.30"	E73° 57' 14.69"
354	J-354	N24° 14' 47.31"	E73° 57' 14.02"
355	J-355	N24° 14' 50.00"	E73° 57' 13.92"
356	J-356	N24° 14' 51.01"	E73° 57' 13.84"
357	J-357	N24° 14' 48.67"	E73° 57' 16.16"

358	J-358	N24° 14' 46.74"	E73° 57' 17.90"
359	J-359	N24° 14' 46.92"	E73° 57' 18.40"
360	J-360	N24° 14' 50.72"	E73° 57' 19.54"
361	J-361	N24° 14' 53.59"	E73° 57' 19.39"
362	J-362	N24° 14' 54.45"	E73° 57' 19.62"
363	J-363	N24° 14' 57.64"	E73° 57' 18.80"
364	J-364	N24° 15' 0.27"	E73° 57' 17.89"
365	J-365	N24° 15' 2.91"	E73° 57' 16.53"
366	J-366	N24° 15' 5.60"	E73° 57' 15.37"
367	J-367	N24° 15' 9.78"	E73° 57' 14.53"
368	J-368	N24° 15' 10.97"	E73° 57' 14.81"
369	J-369	N24° 15' 12.39"	E73° 57' 14.34"
370	J-370	N24° 15' 13.65"	E73° 57' 16.12"
371	J-371	N24° 15' 15.74"	E73° 57' 18.66"
372	J-372	N24° 15' 19.57"	E73° 57' 20.47"
373	J-373	N24° 15' 20.77"	E73° 57' 20.53"
374	J-374	N24° 15' 22.36"	E73° 57' 21.18"
375	J-375	N24° 15' 23.50"	E73° 57' 21.10"
376	J-376	N24° 15' 25.93"	E73° 57' 18.44"
377	J-377	N24° 15' 26.49"	E73° 57' 17.34"
378	J-378	N24° 15' 27.97"	E73° 57' 16.44"
379	J-379	N24° 15' 28.60"	E73° 57' 15.07"
380	J-380	N24° 15' 30.97"	E73° 57' 13.38"
381	J-381	N24° 15' 31.89"	E73° 57' 11.63"
382	J-382	N24° 15' 32.03"	E73° 57' 10.71"
383	J-383	N24° 15' 36.72"	E73° 57' 08.29"
384	J-384	N24° 15' 37.87"	E73° 57' 08.50"
385	J-385	N24° 15' 39.96"	E73° 57' 07.31"
386	J-386	N24° 15' 42.35"	E73° 57' 03.62"
387	J-387	N24° 15' 42.18"	E73° 57' 02.46"
388	J-388	N24° 15' 39.36"	E73° 56' 59.43"
389	J-389	N24° 15' 37.61"	E73° 56' 56.86"
390	J-390	N24° 15' 38.00"	E73° 56' 54.73"
391	J-391	N24° 15' 42.16"	E73° 56' 51.68"
392	J-392	N24° 15' 46.71"	E73° 56' 48.05"
393	J-393	N24° 15' 50.11"	E73° 56' 45.80"
394	J-394	N24° 15' 54.02"	E73° 56' 43.89"
395	J-395	N24° 15' 57.96"	E73° 56' 41.03"
396	J-396	N24° 15' 59.69"	E73° 56' 40.15"
397	J-397	N24° 16' 2.79"	E73° 56' 41.39"

398	J-398	N24° 16' 4.52"	E73° 56' 39.48"
399	J-399	N24° 16' 4.97"	E73° 56' 36.39"
400	J-400	N24° 16' 1.57"	E73° 56' 35.26"
401	J-401	N24° 15' 59.11"	E73° 56' 36.51"
402	J-402	N24° 16' 0.11"	E73° 56' 33.52"
403	J-403	N24° 16' 01.57"	E73° 56' 31.76"
404	J-404	N24° 16' 05.15"	E73° 56' 31.07"
405	J-405	N24° 16' 06.45"	E73° 56' 29.75"
406	J-406	N24° 16' 07.95"	E73° 56' 27.92"
407	J-407	N24° 16' 08.41"	E73° 56' 26.23"
408	J-408	N24° 16' 10.70"	E73° 56' 24.57"
409	J-409	N24° 16' 12.54"	E73° 56' 21.72"
410	J-410	N24° 16' 13.14"	E73° 56' 21.71"
411	J-411	N24° 16' 14.64"	E73° 56' 20.71"
412	J-412	N24° 16' 17.20"	E73° 56' 19.92"
413	J-413	N24° 16' 19.20"	E73° 56' 20.17"
414	J-414	N24° 16' 21.59"	E73° 56' 18.66"
415	J-415	N24° 16' 21.28"	E73° 56' 17.66"
416	J-416	N24° 16' 24.78"	E73° 56' 15.21"
417	J-417	N24° 16' 29.04"	E73° 56' 12.16"
418	J-418	N24° 16' 38.90"	E73° 56' 08.65"
419	J-419	N24° 16' 32.36"	E73° 56' 10.49"
420	J-420	N24° 16' 33.42"	E73° 56' 09.89"
421	J-421	N24° 16' 35.64"	E73° 56' 09.52"
422	J-422	N24° 16' 41.85"	E73° 56' 07.80"
423	J-423	N24° 16' 47.94"	E73° 56' 07.05"
424	J-424	N24° 16' 51.11"	E73° 56' 07.21"
425	J-425	N24° 16' 52.46"	E73° 56' 06.58"
426	J-426	N24° 16' 55.85"	E73° 56' 05.48"
427	J-427	N24° 16' 56.85"	E73° 56' 04.26"
428	J-428	N24° 16' 57.58"	E73° 56' 02.29"
429	J-429	N24° 16' 58.68"	E73° 55' 59.44"
430	J-430	N24° 16' 58.95"	E73° 55' 57.36"
431	J-431	N24° 16' 58.07"	E73° 55' 56.33"
432	J-432	N24° 16' 56.45"	E73° 55' 54.43"
433	J-433	N24° 16' 56.91"	E73° 55' 51.84"
434	J-434	N24° 16' 57.48"	E73° 55' 50.83"
435	J-435	N24° 16' 58.06"	E73° 55' 48.15"
436	J-436	N24° 16' 56.23"	E73° 55' 45.50"
437	J-437	N24° 16' 56.64"	E73° 55' 44.23"

438	J-438	N24° 16' 55.63"	E73° 55' 41.44"
439	J-439	N24° 16' 59.92"	E73° 55' 33.07"
440	J-440	N24° 17' 13.50"	E73° 55' 20.71"
441	J-441	N24° 17' 18.53"	E73° 55' 17.21"
442	J-442	N24° 17' 22.52"	E73° 55' 13.40"
443	J-443	N24° 17' 4.02"	E73° 55' 29.27"
444	J-444	N24° 17' 8.32"	E73° 55' 25.21"
445	J-445	N24° 16' 56.68"	E73° 55' 36.52"
446	J-446	N24° 17' 26.15"	E73° 55' 10.46"
447	J-447	N24° 17' 31.08"	E73° 55' 07.15"
448	J-448	N24° 17' 34.00"	E73° 55' 05.54"
449	J-449	N24° 17' 51.96"	E73° 54' 53.21"
450	J-450	N24° 17' 59.98"	E73° 54' 46.45"
451	J-451	N24° 17' 38.68"	E73° 55' 02.34"
452	J-452	N24° 17' 43.45"	E73° 54' 59.79"
453	J-453	N24° 17' 47.87"	E73° 54' 56.33"
454	J-454	N24° 17' 55.49"	E73° 54' 50.46"
455	J-455	N24° 18' 03.94"	E73° 54' 42.65"
456	J-456	N24° 18' 06.30"	E73° 54' 39.17"
457	J-457	N24° 18' 08.85"	E73° 54' 32.55"
458	J-458	N24° 18' 10.70"	E73° 54' 28.82"
459	J-459	N24° 18' 10.93"	E73° 54' 24.81"
460	J-460	N24° 18' 12.38"	E73° 54' 19.23"
461	J-461	N24° 18' 14.51"	E73° 54' 14.45"
462	J-462	N24° 18' 16.01"	E73° 54' 09.63"
463	J-463	N24° 18' 18.05"	E73° 54' 04.65"
464	J-464	N24° 18' 18.27"	E73° 54' 03.98"
465	J-465	N24° 18' 19.56"	E73° 53' 59.98"
466	J-466	N24° 18' 19.21"	E73° 53' 58.66"
467	J-467	N24° 18' 20.25"	E73° 53' 55.38"
468	J-468	N24° 18' 22.49"	E73° 53' 51.53"
469	J-469	N24° 18' 24.20"	E73° 53' 48.97"
470	J-470	N24° 18' 26.35"	E73° 53' 45.55"
471	J-471	N24° 18' 28.41"	E73° 53' 40.54"
472	J-472	N24° 18' 30.22"	E73° 53' 35.54"
473	J-473	N24° 18' 32.37"	E73° 53' 30.52"
474	J-474	N24° 18' 34.28"	E73° 53' 25.66"
475	J-475	N24° 18' 36.49"	E73° 53' 19.80"
476	J-476	N24° 18' 37.63"	E73° 53' 14.20"
477	J-477	N24° 18' 38.77"	E73° 53' 08.92"

478	J-478	N24° 18' 40.42"	E73° 53' 04.01"
479	J-479	N24° 18' 42.67"	E73° 53' 00.56"
480	J-480	N24° 18' 42.09"	E73° 52' 59.56"
481	J-481	N24° 18' 42.94"	E73° 52' 57.46"
482	J-482	N24° 18' 44.25"	E73° 52' 56.07"
483	J-483	N24° 18' 46.22"	E73° 52' 51.95"
484	J-484	N24° 18' 48.18"	E73° 52' 46.88"
485	J-485	N24° 18' 51.89"	E73° 52' 42.00"
486	J-486	N24° 18' 56.25"	E73° 52' 36.81"
487	J-487	N24° 19' 1.69"	E73° 52' 30.44"
488	J-488	N24° 19' 05.93"	E73° 52' 23.42"
489	J-489	N24° 19' 12.97"	E73° 52' 20.32"
490	J-490	N24° 19' 08.76"	E73° 52' 12.50"
491	J-491	N24° 19' 06.76"	E73° 52' 07.51"
492	J-492	N24° 19' 06.36"	E73° 52' 05.73"
493	J-493	N24° 19' 05.98"	E73° 52' 04.81"
494	J-494	N24° 19' 04.75"	E73° 52' 03.38"
495	J-495	N24° 19' 04.20"	E73° 52' 01.64"
496	J-496	N24° 19' 02.84"	E73° 51' 59.73"
497	J-497	N24° 18' 54.07"	E73° 51' 49.62"
498	J-498	N24° 18' 49.57"	E73° 51' 44.59"
499	J-499	N24° 18' 48.57"	E73° 51' 43.05"
500	J-500	N24° 18' 46.07"	E73° 51' 37.69"
501	J-501	N24° 18' 44.92"	E73° 51' 35.70"
502	J-502	N24° 18' 42.15"	E73° 51' 32.62"
503	J-503	N24° 18' 41.24"	E73° 51' 29.70"
504	J-504	N24° 18' 39.47"	E73° 51' 28.32"
505	J-505	N24° 18' 37.76"	E73° 51' 24.81"
506	J-506	N24° 18' 37.70"	E73° 51' 18.73"
507	J-507	N24° 18' 37.01"	E73° 51' 17.30"
508	J-508	N24° 18' 35.10"	E73° 51' 10.19"
509	J-509	N24° 18' 33.55"	E73° 51' 08.20"
510	J-510	N24° 18' 33.57"	E73° 50' 59.73"
511	J-511	N24° 18' 30.84"	E73° 50' 51.68"
512	J-512	N24° 18' 29.72"	E73° 50' 51.01"
513	J-513	N24° 18' 28.82"	E73° 50' 50.75"
514	J-514	N24° 18' 25.21"	E73° 50' 49.67"
515	J-515	N24° 18' 19.89"	E73° 50' 50.54"
516	J-516	N24° 18' 14.47"	E73° 50' 51.52"
517	J-517	N24° 18' 09.4"	E73° 50' 49.20"

518	J-518	N24° 18' 09.9"	E73° 50' 45.60"
519	J-519	N24° 18' 10.10"	E73° 50' 43.10"
520	J-520	N24° 18' 10.55"	E73° 50' 42.35"
521	J-521	N24° 18' 10.55"	E73° 50' 41.51"
522	J-522	N24° 18' 09.9"	E73° 50' 41.00"
523	J-523	N24° 18' 9.13"	E73° 50' 37.65"
524	J-524	N24° 18' 06.3"	E73° 50' 33.20"

**TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE**

S. No.	Point code	Latitude	Longitude
1	E01	N24°22'35.13"	E73°49'02.08"
2	E02	N24°22'46.25"	E73°49'28.39"
3	E03	N24°22'33.44"	E73°49'39.97"
4	E04	N24°22'19.35"	E73°49'53.17"
5	E05	N24°22'01.07"	E73°50'14.84"
6	E06	N24°21'51.82"	E73°50'35.07"
7	E07	N24°21'31.24"	E73°51'01.89"
8	E08	N24°21'17.76"	E73°51'15.65"
9	E09	N24°21'17.90"	E73°51'29.11"
10	E10	N24°21'16.34"	E73°51'43.38"
11	E11	N24°21'06.06"	E73°51'57.11"
12	E12	N24°20'54.85"	E73°52'06.09"
13	E13	N24°20'44.72"	E73°52'21.92"
14	E14	N24°21'02.19"	E73°52'29.67"
15	E15	N24°20'48.59"	E73°52'45.69"
16	E16	N24°20'35.15"	E73°52'55.59"
17	E17	N24°20'30.32"	E73°53'05.95"
18	E18	N24°20'44.35"	E73°53'11.12"
19	E19	N24°20'09.97"	E73°53'27.35"
20	E20	N24°20'01.59"	E73°53'38.73"
21	E21	N24°19'48.94"	E73°53'46.76"
22	E22	N24°19'44.02"	E73°53'57.27"
23	E23	N24°19'37.35"	E73°54'09.84"
24	E24	N24°19'32.98"	E73°54'09.63"
25	E25	N24°19'31.67"	E73°54'25.18"
26	E26	N24°19'34.47"	E73°54'45.37"
27	E27	N24°19'27.53"	E73°55'19.35"
28	E28	N24°19'12.54"	E73°55'47.33"
29	E29	N24°19'09.05"	E73°56'14.14"
30	E30	N24°18'43.07"	E73°56'41.06"

31	E31	N24°18'38.23"	E73°57'54.93"
32	E32	N24°18'16.52"	E73°58'18.87"
33	E33	N24°17'57.02"	E73°58'37.84"
34	E34	N24°17'56.07"	E73°59'41.25"
35	E35	N24°18'14.64"	E74° 00'07.51"
36	E36	N24°18'21.30"	E74° 00'21.07"
37	E37	N24°18'15.05"	E74° 00'22.56"
38	E38	N24°18'13.31"	E74° 00'52.71"
39	E39	N24°18'05.48"	E74° 01'26.77"
40	E40	N24°17'47.39"	E74° 01'41.97"
41	E41	N24°17'44.37"	E74° 02'01.02"
42	E42	N24°17'37.03"	E74° 02'15.96"
43	E43	N24°16'59.17"	E74° 02'16.22"
44	E44	N24°16'20.55"	E74° 02'35.86"
45	E45	N24°16'00.48"	E74° 02'41.53"
46	E46	N24°15'45.45"	E74° 02'55.54"
47	E47	N24°15'25.86"	E74° 02'58.78"
48	E48	N24°15'17.07"	E74° 03'01.92"
49	E49	N24°15'15.28"	E74° 02'55.73"
50	E50	N24°14'32.36"	E74° 02'51.42"
51	E51	N24°14'05.87"	E74° 02'50.50"
52	E52	N24°14'03.39"	E74° 02'26.56"
53	E53	N24°13'39.84"	E74° 02'15.11"
54	E54	N24°13'05.69"	E74° 02'06.98"
55	E55	N24°12'50.81"	E74° 01'59.06"
56	E56	N24°12'53.34"	E74° 01'35.75"
57	E57	N24°13'00.26"	E74° 01'15.91"
58	E58	N24°12'39.24"	E74° 00'25.18"
59	E59	N24°12'24.44"	E73°59'57.63"
60	E60	N24°11'59.41"	E73°59'36.50"
61	E61	N24°12'02.48"	E73°59'07.35"
62	E62	N24°12'10.51"	E73°58'37.47"
63	E63	N24°11'52.04"	E73°58'21.21"
64	E64	N24°11'39.52"	E73°58'19.75"
65	E65	N24°11'59.29"	E73°57'43.99"
66	E66	N24°12'01.73"	E73°57'17.50"
67	E67	N24°12'25.26"	E73°57'13.06"
68	E68	N24°12'55.41"	E73°56'27.99"
69	E69	N24°13'21.79"	E73°56'17.07"
70	E70	N24°13'21.87"	E73°56'02.16"

71	E71	N24°13'37.89"	E73°55'42.30"
72	E72	N24°13'30.92"	E73°55'09.63"
73	E73	N24°13'28.28"	E73°54'57.40"
74	E74	N24°13'32.20"	E73°54'46.03"
75	E75	N24°13'37.02"	E73°53'51.22"
76	E76	N24°13'37.10"	E73°53'21.28"
77	E77	N24°13'51.76"	E73°53'17.22"
78	E78	N24°13'55.62"	E73°53'09.82"
79	E79	N24°13'51.97"	E73°52'38.89"
80	E80	N24°14'02.75"	E73°52'11.99"
81	E81	N24°14'12.59"	E73°51'57.70"
82	E82	N24°14'12.11"	E73°51'35.70"
83	E83	N24°14'36.90"	E73°51'20.53"
84	E84	N24°15'07.52"	E73°50'58.79"
85	E85	N24°15'48.47"	E73°50'22.75"
86	E86	N24°16'19.31"	E73°49'55.97"
87	E87	N24°17'15.37"	E73°48'53.45"
88	E88	N24°17'38.03"	E73°48'50.36"
89	E89	N24°18'3.69"	E73°48'50.03"
90	E90	N24°18'29.02"	E73°48'45.95"
91	E91	N24°19'06.87"	E73°48'33.65"
92	E92	N24°19'33.98"	E73°48'12.91"
93	E93	N24°19'43.85"	E73°47'42.61"
94	E94	N24°19'59.37"	E73°47'27.41"
95	E95	N24°20'04.53"	E73°47'14.44"
96	E96	N24°20'19.01"	E73°47'00.46"
97	E97	N24°20'42.07"	E73°47'13.88"
98	E98	N24°20'59.16"	E73°47'08.87"
99	E99	N24°21'19.80"	E73°47'09.79"
100	E100	N24°21'21.28"	E73°47'26.41"
101	E101	N24°21'31.08"	E73°47'23.39"
102	E102	N24°21'40.91"	E73°47'23.44"
103	E103	N24°21'57.33"	E73°47'25.95"
104	E104	N24°22'10.97"	E73°47'26.41"
105	E105	N24°22'13.53"	E73°47'49.26"
106	E106	N24°22'16.49"	E73°48'14.85"
107	E107	N24°22'20.57"	E73°48'39.49"
108	E108	N24°22'32.94"	E73°48'37.28"

**ANNEXURE-IV****LIST OF VILLAGES COMING UNDER JAISAMAND WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH GEO-COORDINATES**

S. No.	Location	Tehsil	Village within	Latitude	Longitude
1	Adwas	Sarada	VILLAGE IN PA	N24° 19' 20.85"	E73° 53' 20.16"
2	Ajbara	Sarada	VILLAGE IN ESZ	N24° 20' 26.75"	E73° 51' 37.67"
3	Amarpura	Sarada	VILLAGE IN ESZ	N24° 19' 27.30"	E73° 49' 31.94"
4	Baba Ka Magra	Sarada	VILLAGE IN ESZ	N24° 17' 16.64"	E73° 57' 26.80"
5	Bagruwa	Sarada	VILLAGE IN ESZ	N24° 23' 15.89"	E73° 49' 18.70"
6	Baseetar Jhujhawat	Salumbar	VILLAGE IN ESZ	N24° 12' 09.07"	E73° 58' 07.75"
7	Bassee Joyara	Salumbar	VILLAGE IN ESZ	N24° 12' 42.35"	E73° 58' 07.31"
8	Basu	Girwa	VILLAGE IN ESZ	N24° 22' 36.78"	E73° 51' 47.25"
9	Batuka	Sarada	VILLAGE IN ESZ	N24° 14' 45.42"	E73° 52' 31.00"
10	Bhaison Ka Namla	Salumbar	VILLAGE IN ESZ	N24° 15' 19.34"	E74° 00' 45.77"
11	Bhaison Ka Namla	Salumbar	VILLAGE IN ESZ	N24° 13' 39.60"	E74° 01' 06.24"
12	Bhatwara	Sarada	VILLAGE IN ESZ	N24° 15' 30.58"	E73° 58' 38.72"
13	Bhimpura	Salumbar	VILLAGE IN ESZ	N24° 13' 46.60"	E74° 02' 02.93"
14	Biliya Ka Gurha	Salumbar	VILLAGE IN ESZ	N24° 12' 4.85"	E74° 01' 38.82"
15	Bobas	Sarada	VILLAGE IN ESZ	N24° 16' 36.04"	E73° 50' 36.58"
16	Bootwas	Sarada	VILLAGE IN ESZ	N24° 13' 52.74"	E73° 56' 06.86"
17	Borla	Salumbar	VILLAGE IN ESZ	N24° 14' 40.74"	E74° 02' 35.02"
18	Chandaji Ka Gurha	Sarada	VILLAGE IN PA	N24° 16' 12.47"	E73° 53' 18.93"
19	Chatpur	Salumbar	VILLAGE IN PA	N24° 13' 1.75"	E73° 58' 27.04"
20	Chhaparwali Thorri	Sarada	VILLAGE IN ESZ	N24° 18' 25.95"	E73° 58' 40.81"
21	Chibora	Salumbar	VILLAGE IN ESZ	N24° 13' 26.87"	E74° 01' 37.75"
22	Dangikhera	Sarada	VILLAGE IN ESZ	N24° 17' 50.79"	E73° 48' 58.53"
23	Dawana	Sarada	VILLAGE IN PA	N24° 19' 05.78"	E73° 55' 05.05"
24	Dewala	Sarada	VILLAGE IN ESZ	N24° 21' 33.38"	E73° 49' 43.31"
25	Dhani Melana	Sarada	VILLAGE IN ESZ	N24° 14' 02.16"	E73° 52' 49.04"
26	Dhawadiya	Sarada	VILLAGE IN ESZ	N24° 17' 48.45"	E73° 49' 42.69"
27	Dhulji Ka Gurha	Salumbar	VILLAGE IN ESZ	N24° 17' 22.52"	E74° 02' 26.11"
28	Dolpura	Salumbar	VILLAGE IN ESZ	N24° 12' 46.44"	E74° 02' 24.65"
29	Gamri	Sarada	VILLAGE IN PA	N24° 16' 19.44"	E73° 56' 56.41"
30	Gandhipur	Sarada	VILLAGE IN ESZ	N24° 13' 11.49"	E73° 57' 52.25"
31	Gator	Sarada	VILLAGE IN PA	N24° 15' 08.83"	E73° 56' 37.37"
32	Geegachi Khera	Sarada	VILLAGE IN ESZ	N24° 18' 13.79"	E73° 50' 20.91"
33	Ghati	Salumbar	VILLAGE IN ESZ	N24° 14' 30.42"	E74° 01' 54.97"
34	Gingla	Salumbar	VILLAGE IN ESZ	N24° 17' 51.53"	E73° 02' 02.52"
35	Jamboora	Sarada	VILLAGE IN PA	N24° 16' 28.34"	E73° 55' 28.78"

36	Jariyana	Sarada	VILLAGE IN PA	N24° 18' 02.23"	E73° 51' 10.71"
37	Jawad	Sarada	VILLAGE IN ESZ	N24° 19' 28.90"	E73° 55' 41.07"
38	Jayasamand Tank	Sarada	VILLAGE IN PA	N24° 16' 03.09"	E73° 58' 49.87"
39	Jhadol	Sarada	VILLAGE IN ESZ	N24° 13' 31.41"	E73° 54' 06.04"
40	Junijhar	Sarada	VILLAGE IN ESZ	N24° 17' 58.52"	E73° 55' 52.53"
41	Kali-Magri	Salumbar	VILLAGE IN ESZ	N24° 13' 09.50"	E74° 01' 58.96"
42	Kantora	Sarada	VILLAGE IN ESZ	N24° 12' 50.11"	E73° 56' 55.21"
43	Karodiya	Sarada	VILLAGE IN ESZ	N24° 14' 38.71"	E73° 59' 7.94"
44	Kherad	Salumbar	VILLAGE IN ESZ	N24° 11' 37.77"	E73° 00' 8.06"
45	Lalpuriya	Sarada	VILLAGE IN PA	N24° 13' 37.35"	E73° 58' 51.52"
46	Mahuri	Sarada	VILLAGE IN PA	N24° 16' 44.68"	E73° 54' 27.41"
47	Mahuwara	Sarada	VILLAGE IN ESZ	N24° 19' 12.03"	E73° 48' 08.92"
48	Makarsima	Salumbar	VILLAGE IN ESZ	N24° 14' 07.22"	E74° 02' 32.21"
49	Mendura	Sarada	VILLAGE IN ESZ	N24° 18' 23.95"	E73° 57' 19.28"
50	Methuri	Salumbar	VILLAGE IN ESZ	N24° 17' 54.89"	E74° 00' 23.52"
51	Moondla	Sarada	VILLAGE IN ESZ	N24° 13' 55.57"	E73° 51' 16.58"
52	Naijhar	Sarada	VILLAGE IN ESZ	N24° 18' 57.92"	E73° 56' 12.98"
53	Nandvi	Sarada	VILLAGE IN PA	N24° 18' 26.29"	E73° 51' 58.06"
54	Narpura	Salumbar	VILLAGE IN ESZ	N24° 14' 04.65"	E74° 02' 01.26"
55	Naya Kua	Sarada	VILLAGE IN ESZ	N24° 17' 43.91"	E73° 59' 02.94"
56	Newa Talai (CT)	Sarada	VILLAGE IN ESZ	N24° 21' 49.99"	E73° 47' 40.39"
57	Oda	Sarada	VILLAGE IN ESZ	N24° 22' 43.91"	E73° 48' 34.49"
58	Padarda	Sarada	VILLAGE IN ESZ	N24° 14' 47.39"	E73° 53' 43.48"
59	Padla	Sarada	VILLAGE IN ESZ	N24° 20' 21.06"	E73° 47' 04.06"
60	Pahari	Sarada	VILLAGE IN ESZ	N24° 13' 14.70"	E73° 55' 39.98"
61	Palodra	Sarada	VILLAGE IN ESZ	N24° 19' 50.41"	E73° 50' 40.26"
62	Paluna	Sarada	VILLAGE IN ESZ	N24° 19' 06.80"	E73° 51' 09.63"
63	Pani Kotra	Salumbar	VILLAGE IN ESZ	N24° 15' 38.70"	E74° 02' 07.25"
64	Patan	Salumbar	VILLAGE IN ESZ	N24° 17' 42.48"	E74° 00' 59.38"
65	Payri	Salumbar	VILLAGE IN ESZ	N24° 17' 42.07"	E74° 01' 35.56"
66	Peeladhar	Sarada	VILLAGE IN PA	N24° 16' 34.79"	E73° 51' 50.34"
67	Piyabari	Sarada	VILLAGE IN ESZ	N24° 18' 25.40"	E73° 57' 50.81"
68	Rathoron Ka Gurha	Salumbar	VILLAGE IN ESZ	N24° 12' 48.98"	E74° 00' 59.27"
69	Relan	Sarada	VILLAGE IN ESZ	N24° 20' 17.75"	E73° 47' 26.24"
70	Renth Guriya	Sarada	VILLAGE IN PA	N24° 14' 02.59"	E74° 00' 12.33"
71	Rowa	Salumbar	VILLAGE IN ESZ	N24° 13' 28.18"	E73° 59' 34.93"
72	Runeeja	Girwa	VILLAGE IN ESZ	N24° 20' 50.52"	E73° 52' 21.12"
73	Sallara	Sarada	VILLAGE IN ESZ	N24° 11' 41.33"	E73° 56' 10.95"
74	Saradi	Salumbar	VILLAGE IN ESZ	N24° 16' 32.07"	E74° 02' 05.94"

75	Sarsiya	Sarada	VILLAGE IN ESZ	N24° 15' 13.57"	E73° 50' 17.62"
76	Sarsiya Kad	Sarada	VILLAGE IN ESZ	N24° 17' 00.25"	E73° 49' 47.72"
77	Semal	Sarada	VILLAGE IN ESZ	N24° 17' 46.97"	E73° 59' 40.08"
78	Shyampura	Sarada	VILLAGE IN ESZ	N24° 14' 43.18"	E73° 54' 50.77"
79	Singawali	Salumbar	VILLAGE IN ESZ	N24° 15' 18.11"	E74° 02' 55.25"
80	Siyal Kotra	Salumbar	VILLAGE IN ESZ	N24° 15' 00.23"	E74° 01' 58.03"
81	Tulchhon Ka Namla	Salumbar	VILLAGE IN ESZ	N24° 12' 35.23"	E73° 59' 41.16"
82	Veerpura	Sarada	VILLAGE IN PA	N24° 13' 49.63"	E73° 57' 55.09"
83	N/A	Sarada	VILLAGE IN ESZ	N24° 21' 06.26"	E73° 48' 20.03"

**ANNEXURE -V****Performa of Action Taken Report:**

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.